



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या-1320 -पें०एवंआर०-28/पाकालि/2017-60-पी/98 (टी०सी०-1), दिनांक 29 दिसम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

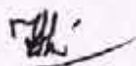
विषय:- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी वितरण कम्पनियों तथा केस्को के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उ०प्र० शासन के आदेशों की अनुरूपता में दिनांक 01.01.2016 से पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण का पुनरीक्षण अनुमन्य कराया जाना

उपरोक्त विषय पर उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय एवं उ०प्र० शासन के पत्रांक-07/2017/1758/24-पी-2-17-सा०(144)/17, दिनांक 27.12.2017 के अनुक्रम में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी वितरण कम्पनियों तथा केस्को के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/अशक्तता पेंशन/ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण की दरों को उ०प्र० शासन की अनुरूपता में दिनांक 01.01.2016 से संशोधित/पुनरीक्षित कराये जाने हेतु उ०प्र० शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग-03 के निम्नलिखित आदेशों (प्रतिलिपि संलग्न) में प्राविधानित व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन निम्नवत आदेशित किया जाता है:-

क्र० सं०	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	विषय
1	सं०-38/2016-सा-03-921/दस /2016/308/2016 दिनांक 23.12.2016	दिनांक 01.01.2016 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी/पेंशन राशिकरण के प्राविधानों का दिनांक 01.01.2016 से संशोधन।
2	सं०-39/2016-सा-03-923/दस /2016/308/2016 दिनांक 23.12.2016	दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हो चुके पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण किया जाना।
3	सं०-23/2017/सा-3-329/दस -2017/308/2016 दिनांक 18.07.2017	दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिक को उनके सेवानिवृत्त/दिवंगत होने की तिथि को अनुमन्य अन्तिम वेतन का पुनरीक्षण उनके सेवानिवृत्त/दिवंगत होने के पश्चात विभिन्न वेतन आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित किया जाना एवं इस प्रकार दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जाना।
4	सं०-31/2017/सा-3-524/दस -2017/308(8)/2016 दिनांक 04.09.2017	दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिक को उनके सेवानिवृत्त/दिवंगत होने की तिथि को अनुमन्य अन्तिम आहरित वेतन का पुनरीक्षण उनके सेवानिवृत्त/दिवंगत होने के पश्चात विभिन्न वेतन आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित किये जाने सम्बन्धी वेतन पुनरीक्षण का रेडीरेकनर (Ready reckner) जिसके सिद्धान्तों के आधार पर पेंशन की धनराशि में बढ़ोत्तरी होने पर तदनुसार दिनांक 01.01.2016 से पेंशन का संशोधन किया जाना है। सम्बन्धित शासनादेश के सिद्धान्तों के अनुसार तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद सम्प्रति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में अपनी पूर्व से प्रभावी विभिन्न वेतन आयोगों के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचनाओं में वेतन का नोशनल निर्धारण कराये जाने एवं तदनुसार पेंशन के पुनरीक्षण की कार्यवाही अपेक्षित होगी।

[Handwritten signature]

2. उपर्युक्त कार्यवाही हेतु शासनादेशों में प्रयुक्त उद्बोधनों यथा "राज्य सरकार" सरकारी सेवकों, "राज्य कर्मचारियों", "सरकारी सेवक", "सरकारी कर्मिकों" तथा विभिन्न वेतन आयोगों आदि को क्रमशः "उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि", "कारपोरेशन सेवकों", "कारपोरेशन के कर्मचारियों", "कारपोरेशन सेवक", "कारपोरेशन के कर्मिकों" तथा वेज-बोर्ड एवं विभिन्न वेतन आयोगों के संदर्भ में लिया जायेगा।
3. संगत शासनादेशों में पेंशन/ग्रेज्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण के प्रश्नगत पुनरीक्षण को लागू किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु इंगित अधिकारियों/इकाईयों के नाम के स्थान पर कारपोरेशन के संगत अधिकारियों/इकाईयों का उल्लेख किया गया समझा जायेगा।
4. शासनादेश संख्या-38/2016-सा-03-921/दस/2016/308/2016 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-11 एवं शासनादेश संख्या-39/2016-सा-03-923/दस/2016/308/2016 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-08 में वर्णित *एक्स-ग्रेसिया एकमुश्त कम्पनसेशन की सुविधा/व्यवस्था, उ०प्र० पावर कारपोरेशन एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों केस्को सहित के कर्मिकों के सम्बन्ध में अग्रतर निर्णय लिये जाने तक स्थगित रहेगी।*
5. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को के दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण राज्य सरकार के पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं०-39/2016-सा-03-923/दस/2016/308/2016 दिनांक 23.12.2016 के प्राविधानों के अनुसार पेंशन का पुनरीक्षण कोषागार स्तर पर किया जायेगा।
6. दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के पेंशनरों की पेंशन का संशोधन किये जाने हेतु शासनादेश सं०-23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016 दिनांक 18.07.2017 के प्राविधानों के अनुसार तथा शासनादेश सं०-31/2017/सा-3-524/दस-2017/308(8)/2016 दिनांक 04.09.2017 के सिद्धान्तों को संज्ञान में लेते हुये तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद सम्प्रति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की अपनी वेतन संरचना के अनुसार वेतन का नोशनल निर्धारण सक्षम स्तर से यथा लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/सम्बन्धित विद्युत कम्पनियों/इकाईयों के अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
7. दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे कर्मिकों जिन्हें पेंशन अनुमन्य है, की पेंशन का निर्धारण शासनादेश सं०-38/2016-सा-03-921/दस/2016/308/2016 दिनांक 23.12.2016 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
8. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को के समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दि० 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन का लाभ निम्नांकित शर्तों के अधीन अनुमन्य कराया जायेगा:-
 - (i) ऊर्जा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2016/41/24/पी-2-16-सा०(84)/2014 दिनांक 13 जनवरी, 2016 के प्रस्तर-3 (Vii) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार विभिन्न निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग के 19.08 प्रतिशत (अथवा जो दर निर्धारित की जाय) का अंशदान समस्त निगम राजकोष में नियमित रूप से जमा करते रहेंगे।
 - (ii) संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का नकद भुगतान जनवरी, 2018 भुगतान माह फरवरी, 2018 से किया जायेगा। *दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक की अवधि के अवशेषों के भुगतान के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।*
 - (iii) दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का दि० 01.01.2016 से पुनरीक्षण राजकीय पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं०-39/2016-सा-03-923/दस/2016/308/2016 दिनांक 23.12.2016 के अनुसार कोषागार स्तर पर किया जायेगा।
 - (iv) राजकीय पेंशनरों की पेंशन संशोधन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश 23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016 दिनांक 18.07.2017 के अनुसार एवं शासनादेश सं०-31/2017/सा-3-524/दस-2017/308(8)/2016 दिनांक 04.09.2017 के सिद्धान्तों के अनुसार तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद सम्प्रति



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में पूर्व से विभिन्न वेतन आयोगों में लागू वेतनमानों में वेतन का नोशनल निर्धारण की कार्यवाही विद्युत कम्पनियों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की जायेगी तथा पेंशन निर्धारण हेतु आवश्यक अभिलेख नोशनल वेतन निर्धारण के आदेश सहित निदेशक, पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को प्रेषित किये जायेंगे। उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को के सेवानिवृत्त कार्मिकों में से ऐसे कार्मिक जो राज्य सरकार में समूह- 'क' के समतुल्य पदों से सेवानिवृत्त हुये हों, के प्रकरण निदेशक, पेंशन को तथा समूह- 'ख' एवं समूह- 'ग' के समतुल्य पदों से सेवानिवृत्त पेंशनरों के प्रकरण सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को प्रेषित किये जायेंगे। समूह- 'घ' के पेंशनरों के प्रकरण सम्बन्धित कम्पनी/इकाई के अधिकृत अधिकारियों के द्वारा पूर्व की भांति निस्तारित किये जायेंगे।

(V) दिनांक 01.01.2018 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी उपर्युक्तानुसार निदेशक, पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन होंगे। उक्त तिथि को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक लाभ के प्रकरण उ०प्र० पावर कारपोरेशन एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को के निवर्तमान पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के स्थान पर निदेशक, पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(Vi) समूह- 'घ' के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी सम्बन्धित कम्पनी/इकाई के इस सम्बन्ध में पूर्व में अधिकृत अधिकारी ही होंगे।

संलग्नक : यथोपरि।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या : 1320-पें०एवंआर०-28/पाकालि/17/तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ को शासनादेश संख्या-1/2016/41/24-पी-2-16-सा० (84)/2014 दिनांक 13.01.2016 एवं शासन के पत्रांक-07/2017/1758/24-पी-2-17-सा०(144)/17, दिनांक 27.12.2017 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों के अनुसार राजकीय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही की अनुरूपता में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों तथा केस्को के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सम्बन्ध में कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, कक्ष संख्या-148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
8. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
9. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ /वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को-कानपुर।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियों।
11. पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त जिला कोषाधिकारी, उ०प्र०।



14. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनियाँ।
16. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
17. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
18. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
19. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
20. कट फाईल।

आज्ञा से,



(सै०मो० जाकिर अली काजमी)
अपर सचिव (तृतीय)

प्रेषक:

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन एवं
पारेषण निगम लि०, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 27 दिसम्बर, 2017

विषय:- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों, केस्को, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० एवं उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अधोलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(क) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० एवं उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण राज्य सरकार के पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-39/2016-सा-03-923/दस /2016/308/2016, दिनांक 23.12.2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। पेंशन का पुनरीक्षण कोषागार स्तर पर कर दिया जाय।

(ख) दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के पेंशनरों की पेंशन का संशोधन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016, दि०-18.07.2017 तथा शासनादेश संख्या-31/2017/सा-3-524/दस-2017-308(8)/2016, दिनांक 04.09.2017 के प्राविधानों को भी संज्ञान में लिया जाये। शासनादेश दिनांक 18.07.2017 एवं शासनादेश दिनांक 04.09.2017 के अनुसार कार्यवाही सम्बन्धित विद्युत कम्पनियों द्वारा की जायेगी।

(ग) ऊर्जा क्षेत्र की उपर्युक्त कम्पनियों के दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवा निवृत्त होने वाले ऐसे कर्मिकों जिन्हें पेंशन अनुमन्य है, की पेंशन का निर्धारण शासनादेश संख्या-38/2016/सा-3-921/दस-2016/308/2016, दिनांक 23.12.2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

(घ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को के साथ-साथ उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० एवं उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के समस्त पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन का लाभ निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाता है:-

- (i) ऊर्जा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2016/41/24/पी-2-16-सा0 (84)/2014 दिनांक 13 जनवरी, 2016 के प्रस्तर-3 (vii) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार विभिन्न निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग के 19.08 प्रतिशत (अथवा जो दर निर्धारित की जाय) का अंशदान समस्त निगम राजकोष में नियमित रूप से जमा करते रहेंगे।
- (ii) संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का नकद भुगतान जनवरी, 2018 भुगतान माह फरवरी, 2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक की अवधि के अवशेषों के भुगतान के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
- (iii) दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण राजकीय पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 23.12.2016 के अनुसार कोषागार स्तर पर किया जायेगा।
- (iv) राजकीय पेंशनरों की पेंशन संशोधन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 18.07.2017 एवं 04.09.2017 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कर्मिकों के अंतिम आहरित वेतन के दिनांक 01.01.1986, 01.01.1996, 01.01.2006 एवं 01.01.2016 को नोशचल निर्धारण की कार्यवाही विद्युत कम्पनियों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की जायेगी तथा पेंशन निर्धारण हेतु आवश्यक अभिलेख नोशनल वेतन निर्धारण के आदेश सहित निदेशक, पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को प्रेषित किये जायेंगे। ऊर्जा कम्पनियों के सेवानिवृत्त कर्मिकों में से ऐसे कर्मिक जो राज्य सरकार में समूह 'क' के समतुल्य पदों से सेवानिवृत्त हुए हों के प्रकरण निदेशक, पेंशन को तथा समूह 'ख' एवं समूह 'ग' के समतुल्य पदों से सेवानिवृत्त पेंशनरों के प्रकरण मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन को प्रेषित किये जायेंगे। समूह 'घ' के पेंशनरों के प्रकरण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निस्तारित किये जायेंगे।
- (v) दिनांक 01.01.2018 को अथवा उसके उपरान्त ऊर्जा कम्पनियों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मिकों के पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी उपर्युक्तानुसार निदेशक, पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन होंगे। उक्त तिथि को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कर्मिकों के सेवानिवृत्तिक लाभ के प्रकरण ऊर्जा कम्पनियों के निवर्तमान पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के स्थान पर निदेशक, पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।
- (vi) समूह 'घ' के सेवानिवृत्त कर्मिकों के पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष (जहाँ से कर्मिक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि तक वेतन आहरित हुआ हो) होंगे।
- 2- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-10-यूओ-206/दस-2017 दिनांक 26.12.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या: 07/2017/1758(1)/24-पी-2-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, 30प्र0 शासन।
- 2- समस्त मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 30प्र0।
- 4- सचिव, 30प्र0 राज्य विद्युत परिषद, पावर सेक्टर इम्पलाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, 30प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ
- 6- जिलाधिकारी, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रराज सिंह)

संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2016

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- पेंशन/उपदान/पेंशन की संराशीकरण/पारिवारिक पेंशन/अशक्तता पेंशन/एकमुश्त अनुग्रह राशि का विनियमन करने वाले प्रावधानों का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन के भाग-2 की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016 दिनांक 16-12-2016 द्वारा किये जाने के अनन्तर श्री राज्यपाल दिनांक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन / ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण के प्रावधानों का विनियमन करने वाले प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने के सहर्ष आदेश देते हैं।

2- यह आदेश उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स द्वारा नियंत्रित राज्य सरकार के उन कर्मचारियों जो उत्तर प्रदेश लिबरलाईज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85, दिनांक 08-08-1986 के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, तथा जो दिनांक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत होंगे, पर लागू होंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

3-(1) प्रभावी होने की तिथि -

इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगी जो दिनांक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत हुए हों। दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी सेवकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

3-(2)

इन आदेशों से आच्छादित ऐसे सरकारी सेवकों, जिनके मामलों में दिनांक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति पूर्व व्यवस्था के अनुसार निर्गत की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिये लाभप्रद न हो, तो ऐसे मामलों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

4(1) परिलब्धियाँ

पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवानैवृत्तिक/मृत्यु ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसाकि मूल नियम-9(21) (1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

4(2)

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन का आशय उस वेतन से है, जो दिनांक 01-01-2016 से लागू पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर आहरित किया गया है किन्तु इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन यथा विशेष वेतन आदि शामिल नहीं होंगे।

4-(3)

सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को देय महंगाई भत्ता परिलब्धियों में सम्मिलित किया जायेगा।

5-पेंशन

5-(1)

सिविल सर्विस रेग्युलेशन के अनुच्छेद-474 की व्यवस्था के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों, जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते

1-यह शासनदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

हैं, उन्हें पेंशन अनुमन्य नहीं होती है, परन्तु उक्त श्रेणी के कार्मिक राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होंगे।

5-(2)

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2006 को या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी अर्हकारी सेवा 20 वर्ष की है, को पूर्ण पेंशन अनुमन्य की गयी है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों में इस व्यवस्था को यथावत् बनाये रखा गया है। जो सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य है। यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम है तो पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी परन्तु यह राशि किसी भी दशा में ₹0 9,000/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

5-(3)

पेंशन की न्यूनतम धनराशि ₹0 9000/- प्रतिमाह तथा अधिकतम राशि राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन के 50 प्रतिशत प्रतिमाह की धनराशि से अधिक नहीं होगी।

5-(4)

वृद्ध पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन निम्नानुसार पूर्व की भाँति अनुमन्य रहेगी :-

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेंशन प्राधिकार पत्र में पेंशनर की जन्म तिथि, पेंशनर द्वारा धारित अन्तिम पदनाम, वेतनमान, अन्तिम आहरित वेतन एवं औसत परिलब्धियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये जिससे अनुमन्यता की तिथि को अतिरिक्त पेंशन की धनराशि का आगणन एवं भुगतान करने में सुविधा हो। पेंशन प्राधिकार पत्र में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से प्रदर्शित की जायेगी। उदाहरणार्थ यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि ₹0 10,000/- प्रतिमाह है, में पेंशन इस प्रकार दर्शायी जायेगी, (i) मूल पेंशन- ₹0-10,000/- (ii) अतिरिक्त पेंशन ₹0-2,000/- । 85 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर , (i) मूल पेंशन- ₹0-10,000/- (ii) अतिरिक्त पेंशन ₹0-3,000/- प्रतिमाह होगी।

6- अर्हकारी सेवा से अतिरिक्त सेवा की गणना

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की गणना व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त सेवा को पेंशन के लिये अर्हकारी सेवा में गणना किये जाने की व्यवस्था को कार्यालय-जाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनांक 08-12-2008 द्वारा दिनांक 01-01-2006 से समाप्त कर दिया गया है।

7- नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965

- 7(1)- पुनरीक्षित वेतन संरचना में पारिवारिक पेंशन एक समान दर मूल वेतन के 30 प्रतिशत के बराबर इस प्रतिबन्ध के अधीन स्वीकृत की जायेगी कि पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि ₹0- 9000/- प्रतिमाह होगी और अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी।
- 7(2)- पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चकृत पारिवारिक पेंशन मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी, जिसकी न्यूनतम धनराशि ₹0 9000/- तथा अधिकतम राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी।
- 7(3)- वृद्ध पारिवारिक पेंशनरों को देय अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का आगणन प्रस्तर-5(4) में दी गयी तालिका के अनुसार किया जायेगा।
- 7(4)- पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :-

वर्ग-1

- (क)- विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो।
- (ख)- पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

वर्ग-2

(च)- अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो वर्ग-1 से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो।

(छ)- ऐसे माता-पिता जो सरकारी सेवक पर उनके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हों तथा मृत सरकारी सेवक के पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे न हों।

आश्रित माता-पिता, अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवनपर्यन्त मिलेगी।

वर्ग-2 से आच्छादित अविवाहित/ विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में उक्त वर्ग-1 में सम्मिलित पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार में ऐसी कोई संतान न हो, जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों को उनकी जन्म-तिथि के क्रम में होगी अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों/सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को, चाहे उनका वैधव्य/तलाक, उनकी 25 वर्ष की आयु के पूर्व अथवा पश्चात् घटित हुआ हो, दोनों ही दशाओं में, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी परन्तु ऐसी पुत्रियाँ जो सरकारी सेवक/पेंशनर, उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

7(5)- संतानहीन विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके पुनर्विवाह के उपरान्त भी किया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि यदि विधवा की सभी व्यक्तिगत आय पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जायेगी उस दशा में पारिवारिक पेंशन बंद हो जायेगी। उक्त प्रकार के प्रकरणों में विधवा को संबंधित कोषागार में प्रत्येक 06 माह पर एक प्रमाण-पत्र देना होगा जिसमें उसकी सभी स्रोतों से आय का उल्लेख होगा।

7(6)- सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतान, जो जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है, को विवाह के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था शासनादेश संख्या-33/2016-सा-3-784/दस-2016-308/97, दिनांक 27-10-2016 द्वारा तत्काल प्रभाव अर्थात् 27-10-2016 से अनुमन्य की गयी है तथा इससे वह प्रकरण भी आच्छादित होंगे जिनमें मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतानों को विवाहोपरान्त पारिवारिक पेंशन बंद की जा चुकी है परन्तु इन आदेशों के तहत पारिवारिक पेंशन का भुगतान

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

तत्काल प्रभाव अर्थात् 27-10-2016 से अनुमन्य होगा। शासनादेश दिनांक 06-08-1981 सपठित शासनादेश दिनांक 12-11-1997 की शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

7(7)- उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने का आधार पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा राशि तथा उस पर अनुमन्य महंगाई राहत पर निर्धारित होगी।

7(8)- ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, के परिवार को मृत्यु की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, तथा इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। पेंशनर की मृत्यु की दशा में बढ़ी हुई दरों पर पेंशन का लाभ दिवंगत पेंशनर की मृत्यु की तिथि से 07 वर्ष अथवा पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगी।

8- सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी

8(1)- मृत्यु ग्रेच्युटी की दर निम्नानुसार संशोधित की जायेगी :-

अहकारी सेवा की अवधि	मृत्यु ग्रेच्युटी की दर
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 02 गुना
01 वर्ष से अधिक किन्तु 05 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 06 गुना
05 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना
20 वर्ष या उससे अधिक	अहकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रु0 20 लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

8(2)- सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रु0 20 लाख होगी। महंगाई भत्ता मूलवेतन का 50 प्रतिशत हो जाने पर उपदान की सीमा 25 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी।

9- पेंशन का राशिकरण

प्रत्येक सरकारी सेवक को यह सुविधा अनुमन्य होगी कि वह अपनी पेंशन के एक भाग, जिसकी अधिकतम सीमा पेंशन की धनराशि की 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, का राशिकरण करा लें। राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन पूर्व की भाँति

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पी0पी0ओ0 निर्गत होने के 03 माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि के ठीक अगली तिथि से होगा।

10- महँगाई राहत

पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर समय-समय पर अनुमन्य महँगाई राहत देय होगी। इन आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01-01-2016 से शून्य प्रतिशत तथा दिनांक 01-07-2016 से 02 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

11-एक्स-ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्सेशन

एक्स-ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्सेशन की धनराशि जो ऐसे राज्य सरकार के सिविल सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को देय है, जिनकी मृत्यु अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान हो जाती है उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक्स-ग्रेशिया की धनराशि की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

परिस्थितियाँ		धनराशि(रूपये)
(क)	कर्तव्य निर्वहन के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर	25 लाख
(ख)	कर्तव्य निर्वहन के दौरान आतंकवादियों अथवा असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसा में मृत्यु होने पर	25 लाख
(ग)	सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादियों, आतंकवादियों, अतिवादियों अथवा समुद्री लुटेरों के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान मृत्यु होने पर	35 लाख
(घ)	विशिष्ट रूप से चिन्हित ऊँची पहाड़ियों या दुर्गम सीमा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं या कठिन जलवायु परिस्थिति में कार्यरत होने पर मृत्यु की दशा में।	35 लाख
(ङ)	युद्ध में शत्रुओं के हमले या ऐसे हमले जिन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाये अथवा भारतीयों को विदेश में युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने के दौरान हुई मृत्यु पर।	45 लाख

उपरोक्त संदर्भित संशोधनों के फलस्वरूप सिविल सर्विस रेग्युलेशन, उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेंनीफिट रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश असाधारण पेंशन नियमावली एवं नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन तथा आवश्यक नियम/व्यवस्थायें संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष नियम/व्यवस्थायें पूर्ववत् रहेंगी।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

12-अवशेष भुगतान की प्रक्रिया

- (क)- इन आदेशों के तहत निर्धारित/पुनर्निर्धारित सेवा नैवृतिक लाभों का भुगतान माह जनवरी, 2017 जिसका भुगतान फरवरी, 2017 में किया जाना है, से किया जाये। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016 की अवधि के लिये देय अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित वर्ष के माह अक्टूबर में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाये।
- (ख)- किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान, ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को, कर दिया जायेगा।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव ।

संख्या-38/2016-सा-3-921(1)/दस-2016/308/16 तद् दिनांक।

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 6- निदेशक, पेंशन, पेंशन निदेशालय, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 9- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेशन, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2016

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन के भाग-2 की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016, दिनांक 16-12-2016 द्वारा किये जाने के अनन्तर श्री राज्यपाल दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने संबंधी प्रावधानों का विनियमन करने वाले प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने के सहर्ष आदेश देते हैं।

2- यह आदेश उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स द्वारा नियंत्रित राज्य सरकार के उन पेंशनरों, जो उत्तर प्रदेश लिबरलाईज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85, दिनांक 08-08-1986 के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं, तथा जो दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त या दिवंगत हो चुके हैं, पर लागू होंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों,

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

18
शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

3-इन आदेशों के अन्तर्गत

(क)- वर्तमान पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो दिनांक 31-12-2015 को राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे या पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार थे।

(ख)- "वर्तमान पेंशन" का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकृत भाग, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए) जो दिनांक 31-12-2015 को देय थी, से है। पेंशन में वे सभी श्रेणी की पेंशनें सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख उक्त प्रस्तर-2 में किया गया है।

(ग)- "वर्तमान पारिवारिक पेंशन" का तात्पर्य उस मूल पारिवारिक पेंशन से है जो नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन शासनादेश संख्या-सा-3-657/दस-900/78, दिनांक 10-05-1978 अथवा शासनादेश संख्या-सा-3-1563/दस-921/81, दिनांक 03-11-1981 में उल्लिखित दरों पर, दिनांक 31-12-1995 को अथवा शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85, दिनांक 08-08-1986 से विनियमित पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 31-12-2015 को अनुमन्य थी।

4- ऐसे वर्तमान पेंशनर जो दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हुए हैं, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के क्रम में मिल रही पेंशन को 2.57 से गुणा कर आगणित किया जायेगा। इस प्रकार से आगणित धनराशि को अगले रूपये में पूर्णांकित करते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा।

उदाहरण-1 पेंशनर-ए वेतनमान ₹0 67000-79000 में अन्तिम मूल वेतन ₹0 79000/- प्राप्त करते हुए दिनांक 31-05-2015 को उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लागू वेतनमानों में प्राप्त करते हुए सेवानिवृत्त होता है, उसकी पेंशन उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लागू वेतनमानों में ₹0 39500/- निर्धारित होती है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर 2.57 के गुणांक का उपयोग करते हुए उसकी पेंशन पुनरीक्षित होकर ₹0 1,01,515/- निर्धारित होगी।

उदाहरण-2 पेंशनर-बी चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लागू वेतनमानों में वेतनमान ₹0 3000-100-3500-125-4500 में अन्तिम मूल वेतन ₹0 4000/- पाते हुए दिनांक 31-01-1989 को सेवानिवृत्त हुआ और उसकी पेंशन तत्समय ₹0 1940/- निर्धारित हुई। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उसकी पुनरीक्षित पेंशन रु0 12600/- निर्धारित हुई। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर 2.57 के गुणांक के आधार पर उसकी पेंशन रु0 32,382/- निर्धारित होगी।

5- पुनरीक्षित पेंशन में राशिकृत धनराशि, यदि कोई है, भी सम्मिलित होगी। राशिकृत धनराशि को काटते हुए, जो धनराशि आयेगी, उसके अनुसार मासिक पेंशन दी जायेगी।

6- दिनांक 01-01-2016 से न्यूनतम पेंशन की धनराशि रु0 9000/- होगी। (80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की उच्च सीमा राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन की क्रमशः 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत होगी।

6(1)- वृद्ध पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को अनुमन्य पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि निम्नानुसार मिलना जारी रहेगी :-

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष की आयु परन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष की आयु परन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष की आयु परन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष की आयु या उससे अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

अतिरिक्त पेंशन को पेंशन भुगतान आदेश में अलग से दिखाया जायेगा। उदाहरणार्थ यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रु0 10,000/- प्रतिमाह है, में पेंशन इस प्रकार दर्शायी जायेगी, (i) मूल पेंशन- रु0-10,000/- (ii) अतिरिक्त पेंशन रु0-2,000/- । 85 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर , (i) मूल पेंशन- रु0-10,000/- (ii) अतिरिक्त पेंशन रु0-3,000/- प्रतिमाह होगी।

6(2)- उपर्युक्तानुसार निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन दिनांक 01-01-2016 से स्वीकृत महंगाई राहत भी सम्मिलित है।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7- उन मामलों में जहाँ पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि न्यूनतम धनराशि ₹0 9000/- से कम आगणित होती है, तो उसे ₹0 9000/- के स्तर पर उच्चकृत कर दिया जायेगा और यह दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन होगी।

8- राजकीय पेंशनरों को पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण, पारिवारिक पेंशन, महंगाई राहत तथा अन्य सुविधायें यथा अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन, एक्स-ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्शेसन आदि, जो केन्द्र के समान देय रही हों, को दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य की जाये।

9- इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण संबंधित कोषागारों द्वारा किया जायेगा। पुनरीक्षण के फलस्वरूप निर्धारित होने वाली पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम तथा अधिकतम धनराशि इस आदेश के प्रस्तर-6 में दी गयी सीमा के अनुसार होगी। जहाँ पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि ₹0 9000/- प्रतिमाह से कम हो रही हो वहाँ संबंधित कोषागार द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि ₹0 9000/- प्रतिमाह तक बढ़ा दी जायेगी। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु संबंधित पेंशनर से आवेदन किये जाने की अपेक्षा न की जाये। इसी प्रकार पदक भत्ते का उल्लेख भी पी0पी0ओ0 में होने के कारण पदक भत्ते का भुगतान/पुनरीक्षण में कठिनाई नहीं होगी। कोषागारों द्वारा जब संबंधित पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षित की जाये, तो तत्संबंधी सूचना भी पेंशनरों को उपलब्ध करा दी जाये, जिसमें पुनरीक्षित पेंशन एवं राशिकरण आदि के समायोजन का भी उल्लेख किया जाये।

10- महंगाई राहत

पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर समय-समय पर अनुमन्य महंगाई राहत देय होगी। इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01-01-2016 से शून्य प्रतिशत तथा दिनांक 01-07-2016 से 02 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

11-अवशेष भुगतान की प्रक्रिया

(क)- इन आदेशों के तहत निर्धारित/पुनर्निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान माह जनवरी, 2017 जिसका भुगतान फरवरी, 2017 में किया जाना है, से किया जाये। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016 की अवधि के लिये देय अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

वर्ष 2018-19 में संबंधित वर्ष के माह अक्टूबर में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाये।

(ख)- किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान, ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को, कर दिया जायेगा।

12- राजकोष से पेंशन पाने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम पेंशन का निर्धारण संबंधित कोषागार द्वारा वित्त विभाग के स्तर से निर्गत किये गये शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा। यह व्यवस्था सरकारी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनके पेंशनरों को सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य है, तथा जिनका भुगतान कोषागारों के द्वारा किया जा रहा है, पर लागू होगी। इन संस्थाओं के कर्मचारियों के अन्य सेवा नैवृत्तिक लाभों के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा पृथक से आदेश किये जाने होंगे।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव ।

संख्या-39/2016-सा-3-923(1)/दस-2016/308/16 तद्दिनांक

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 6- निदेशक, पेंशन, पेंशन निदेशालय, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 9- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेशन, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

प्रति,
समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेशन, उत्तर प्रदेश।
समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 18 जुलाई, 2017

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

वर्ष 2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन का दिनांक 01-01-2016 से संशोधित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016/308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 निर्गत किया जा चुका है।

2- वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन विषयक 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत केन्द्र सरकार के संकल्प संख्या-38/37/2016-P&PW(A), दिनांक 04-08-2016 में उल्लिखित प्रथम विकल्प के संबंध में संस्तुति प्रदान किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के क्रम में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा कार्यालय जाप संख्या-38/37/2016-P&PW(A), दिनांक 12 मई, 2017 निर्गत किया गया है।

3- केन्द्र सरकार के उक्त कार्यालय-जाप में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा सेवानिवृत्ति के समय जिस वेतनमान में अन्तिम वेतन आहरित किया गया था, उसका प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण, उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त के वेतन आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा और इस प्रकार दिनांक 01-01-2016 को

--2--

निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा। केन्द्र सरकार के पूर्व कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04-08-2016 की व्यवस्थानुसार, दिनांक 01-01-2016 के पहले की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा करने पर संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा दिनांक 12-05-2017 के कार्यालय-ज्ञाप में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 01-01-2016 को प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन में से जो अधिक हो, वह दिनांक 01-01-2016 को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी।

4- उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 द्वारा यह संस्तुति की गयी है कि केन्द्र सरकार के संकल्प दिनांक 04-08-2016 में उल्लिखित प्रथम विकल्प पर केन्द्र सरकार का निर्णय आने पर, राज्य सरकार द्वारा तदुसार आदेश निर्गत किये जाएं।

5- अतः केन्द्र सरकार के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12 मई, 2017 में की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार प्रदेश सरकार के वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन के संशोधन हेतु व्यवस्था कराये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 में दी गयी रीति के अनुसार वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन के संशोधन के साथ-साथ आगे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार भी पेंशन का संशोधन किया जायेगा और दोनों रीतियों से पेंशन संशोधन किये जाने पर दिनांक 01-01-2016 से, संबंधित पेंशनर को पेंशन की वह धनराशि अनुमन्य होगी जो अधिक हो।

7- इस व्यवस्था के अन्तर्गत, दिनांक 01-01-2016 के पहले सेवानिवृत्त/मृत उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित वेतनमान में आहरित अन्तिम वेतन का प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण उस कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के उपरान्त जब-जब केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों का पुनरीक्षण किया गया, तब-तब प्रकल्पित रूप से किया जायेगा। इस प्रकार, दिनांक 01-01-2016 को निर्धारित होने वाले प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। यदि इस प्रकार निर्धारित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

--3--

पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन से अधिक होती है तो वह राशि उसे दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी अन्यथा शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 की व्यवस्थानुसार पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन यथावत् प्राप्त होती रहेगी।

8- ऐसे मामले जिनमें बढी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, उनमें बढी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण भी उपर्युक्त प्रक्रियानुसार किया जायेगा तथा जिस तिथि से सामान्य दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हो उस तिथि से सामान्य दर पर पारिवारिक पेंशन का भी पुनरीक्षण उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

9- ऐसे पेंशनर्स जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकायों में स्थायी संवित्तियन के उपरान्त राजकीय सेवा के लिए पृथक से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी सरकारी सेवा के लिए स्वीकृत पेंशन का पुनरीक्षण भी उपर्युक्त प्रक्रियानुसार किया जायेगा। ऐसे मामले जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय में स्थायी रूप से संवित्तियन की शर्तों में राज्य सरकार के नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हो, उन मामलों में पारिवारिक पेंशन का भी पुनरीक्षण उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

10- चूँकि समेकित पेंशन की धनराशि में राशिकृत पेंशन का अंश सम्मिलित होता है, अतः उपर्युक्तानुसार निर्धारित पेंशन में से राशिकृत पेंशन की धनराशि घटाते हुए मासिक पेंशन का भुगतान किया जायेगा।

11- इस शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रकल्पित रूप से वेतन का निर्धारण करते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2016 के पूर्व की अवधि के लिए कोई एरियर देय नहीं होगा। इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने पर दिनांक 01-01-2016 से एरियर का भुगतान, शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10 के अनुसार किया जायेगा। माह जनवरी, 2017 से देय अवशेष का

--4--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

भुगतान भी शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10 के अनुसार किया जायेगा तथा माह जुलाई, 2017 से संशोधित पेंशन का भुगतान माह अगस्त, 2017 से देय होगा।

12- प्रकल्पित आधार पर भिन्न-भिन्न वेतनमानों में वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा करते हुए पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को संशोधित पेंशन भुगतानादेश (पी0पी0ओ0) निर्गत किये जाने हेतु वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश प्रेषित किये जायेंगे। नया भुगतानादेश उसी पी0पी0ओ0 संख्या पर निर्गत किया जायेगा जिस पी0पी0ओ0 संख्या द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन मूल रूप से स्वीकृत की गयी है।

13- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों/संविधिक संस्थानों/परिषदीय विद्यालयों/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं के पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे। इन संस्थाओं के पेंशनरों के संबंध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

14- इन आदेशों के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन को संशोधन की प्रक्रिया को इस शासनादेश के साथ संलग्न तालिका में दिये गये उदाहरणों से समझाया गया है।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव ।

संख्या-23/2017/सा-3-329(1)/दस-2017/308/16 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

--5--

- 5- निदेशक, पेंशन, पेंशन निदेशालय, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 9- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उदाहरण

संलग्नक

कृपया शासनादेश का प्रस्तर-5 देखें

क्रमांक	विवरण	प्रथम उदाहरण	द्वितीय उदाहरण	तृतीय उदाहरण	चतुर्थ उदाहरण
1-	सेवानिवृत्ति की तिथि	31-12-1984	31-01-1989	30-06-1999	31-05-2015
2-	सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान अथवा पे बैंड) (एवं ग्रेड पे) या दिनांक 01-01-1986 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिक की दिनांक 01-01-1986 को प्रकल्पित वेतनमान	975-1660 (चतुर्थ वेतन आयोग)	3000-4500 (चतुर्थ वेतन आयोग)	4000-6000 (पंचम वेतन आयोग)	67000-79000 (छठवें वेतन आयोग)
3-	सेवानिवृत्ति के समय वेतन या दिनांक 01-01-1986 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिक की दिनांक 01-01-1986 का प्रकल्पित वेतन	1210	4000	4800	79000
4-	पुनरीक्षण के पूर्व दिनांक 01-01-2016 को पेंशन	4191	12600	5424	39500
5-	पुनरीक्षण के पूर्व दिनांक 01-01-2016 को पारिवारिक पेंशन	3500	7560	3500	23700
6-	पुनरीक्षण के पूर्व दिनांक 01-01-2016 को बढी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन (जहाँ लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	39500
7-	अपुनरीक्षित पेंशन में 2.57 का गुणा करने पर प्राप्त पुनरीक्षित पेंशन	10771	32382	13940	101515

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8-	अपुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन में 2.57 का गुणा करने पर प्राप्त पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन	9000	19430	9000	606909
9-	अपुनरीक्षित बढी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन में 2.57 का गुणा करने पर अपुनरीक्षित दर पर पारिवारिक पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	101515
10-	दिनांक 01-01-1996 को प्रकल्पित रूप से निर्धारित वेतन	3710 (3200-4900)	11300 (10000-15200)	लागू नहीं	लागू नहीं
11-	दिनांक 01-01-2006 को प्रकल्पित रूप से निर्धारित वेतन	8910 पे बैंड-1 ग्रेड पे 2000	27620 पे बैंड-3 ग्रेड पे 6600	11330 पे बैंड-1 ग्रेड पे 2400	लागू नहीं
12-	दिनांक 01-01-2016 को प्रकल्पित रूप से निर्धारित वेतन	23100 (लेवल-3)	71800 (लेवल-11)	29600 (लेवल-4)	205100 (लेवल-15)
13-	प्रथम विकल्प के अनुसार दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित पेंशन	11550	35900	14800	102550
14-	प्रथम विकल्प के अनुसार दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित पेंशन	9000	21540	9000	61530
15-	प्रथम विकल्प के अनुसार दिनांक 01-01-2016 से बढी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	102550
16-	अनुमन्य पुनरीक्षित पेंशन (क्रमांक-7 एवं क्रमांक-13 में से जो अधिक हो)	11550	35900	14800	102550

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

24

17-	अनुमन्य पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन (क्रमांक- 8 एवं क्रमांक-14 में से जो अधिक हो)	9000	21540	9000	61530
18-	अनुमन्य बढी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन (क्रमांक- 9 एवं क्रमांक-15 में से जो अधिक हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	102550

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-31/2017/सा-3-524/दस-2017-308/६

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 04 सितम्बर,

विषय:- वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों आदि की पें संशोधन।

महोदय,

वर्ष 2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पें दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-9 2016/308/2016 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या-23/2017-सा-3-3 2017/308/2016 दिनांक 18 जुलाई, 2017 निर्गत किये जा चुके हैं।

2- वर्ष 2016 के पूर्व के केन्द्र सरकार के पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण के : पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत स- कार्यालय जाप संख्या-38/37/2017-पी० एण्ड पी०डब्लू० (ए) दिनांक 6 जुलाई, 2016 01.01.1986 से 01.01.2016 तक विभिन्न वेतनमानों में प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण के पर दिनांक 01.01.2016 से निर्धारित होने वाली पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की गणना के : वेतन प्रक्रमवार तालिकाएँ निर्गत की गयी हैं।

3- केन्द्र सरकार के कार्यालय जाप संख्या- 4/23/2017- पी० एण्ड पी०डब्लू० (डी) 25 जुलाई, 2017 यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पुनरीक्षण हेतु पूर्व निर्गत आदेशों के अनुसार विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों द्वारा की जा कार्यवाही के लिए पेंशनरों से किसी प्रकार की सूचना अथवा आवेदन प्राप्त किये : आवश्यकता नहीं है। संबंधित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा निर्गत शासनादेशों के कार्यवाही स्वतः तत्काल की जाये।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के उपर्युक्त कार्याल दिनांक 06 जुलाई, 2017 के साथ संलग्न तालिकाओं जिन्हें इस शासनादेश के साथ संलग गया है, के आधार पर शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों द्वारा पेंशनरों से बिना आवेदन की अपेक्षा किये तत्काल कार्य जाये।

5- दस शासनादेश तथा शासनादेश दिनांक 18 जुलाई 2017 के अनुरूप प्रकल्पित रूप :

01 जनवरी, 2016 से पूर्व की अवधि के लिये कोई एरियर देय नहीं होगा। शासनादेश दि. जुलाई, 2017 एवं इस शासनादेश की व्यवस्थाओं के अधीन पेंशन पुनरीक्षण पर देय ए. भुगतान शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10 एवं शासनादेश दिनांक 18 2017 के प्रस्तर-11 के अनुसार किया जायेगा।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

नील रतन कुम

विशेष सचिव

संख्या-31/2017/सा-3-524(1)/दस-2017-308(8)/2016, तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, 30प्र0, लखनऊ।
- 3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 8वॉ तल इन्दिरा भवन 30प्र0 लखनऊ।
- 4- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर लखनऊ।
- 5- समस्त मण्डीय अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुम

विशेष सचिव।

F. No. 38/37/2016-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. and Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi
Dated 6th July, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of pension of pre-2016 pensioners / family pensioners in implementation of Government's decision on the recommendations of the 7th Central Pay Commission- Concordance tables- regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM of even number dated 12.05.2017 on the above subject and to say that instructions were issued for revision of pension / family pension with effect from 01.01.2016 in respect of Central civil pensioners / family pensioners who retired/died prior to 01.01.2016 by notionally fixing their pay in the pay matrix recommended by the 7th Central Pay Commission in the level corresponding to the pay in the pay scale / pay band and grade pay at which they retired / died. It was provided that 50% of such notional pay shall be the revised pension and 30% of the notional pay shall be the revised family pension w.e.f. 01.01.2016.

2. It was also provided that the revision of pension will be done by notional pay fixation under each intervening Pay Commission based on the formula for revision of pay. Based on the fitment tables provided by the Department of Expenditure, concordance tables for fixation of notional pay and pension / family pension of employees who retired/died in various grades during the 4th, 5th and 6th Pay Commission periods have been prepared and the same are enclosed herewith. In the case of those employees who retired/died before 01.01.1986, these concordance tables may be used based on their notional pay as on 01.01.1986, which was fixed in accordance with this Department's OM No. 45/86/97-P&PW(D)(iii) dated 10.02.1998.

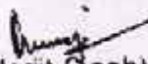
3. Separate tables have been given in respect of pre- 01.01.2016 pensioners who retired in the Group 'D' pay scales corresponding to 6th CPC grade pay of Rs. 1300/-, Rs. 1400/-, Rs. 1600/- and Rs. 1650/- (Table No. 1 to Table No. 4) and for pensioners who retired during 6th CPC period after upgradation to the Grade pay of Rs. 1800/- (Table No. 5 to Table No. 8). The pension/family pension of such pensioners/family pensioners may be revised using the appropriate Table.

4. These concordance tables have been prepared to facilitate revision of pension of pre-2016 pensioners/family pensioners by the concerned pension sanctioning authorities. Due care has been taken to prepare these concordance tables based on the fitment tables for fixation of pay from 4th to 5th, 5th to 6th and 6th to 7th Pay Commission. In case of any inconsistency in the concordance

-2-

5. It is requested that the pension of pre-2016 pensioners / family pensioners may be revised w.e.f. 01.01.2016 in accordance with the instructions contained in this Department's OM of even no dated 12.05.2017 and using the concordance tables enclosed herewith

6. This issues with the approval of Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide their Diary No. 1(13)/EV/2017 dated 05.07.2017.


(Harjit Singh)
Director

To

1. All Ministries/Departments of Government of India (as per standard mailing list)
2. Controller General of Accounts, New Delhi
3. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi
4. Central Pension Accounting Office, New Delhi

Table No.1

Concordance Table for Pensioners who retired in Group-D Pay Scales

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	750-12-870-14-940
From 01.01.1996 to 31.12.2005	2550-55-2660-60--3200
From 01.01.2006 to 31.12.2015	4440-7440 GP 1300
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-1 (18000-56900)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum		
750	2550	6050	-	7000	18000	9000
762	2550	6050	-	7000	18000	9000
774	2550	6050	-	7000	18000	9000
786	2605	6150	-	7000	18000	9000
798	2605	6150	-	7000	18000	9000
810	2605	6150	-	7000	18000	9000
822	2660	6250	-	7000	18000	9000
834	2660	6250	-	7000	18000	9000
846	2660	6250	-	7000	18000	9000
858	2720	6360	-	7000	18000	9000
870	2720	6360	-	7000	18000	9000
884	2780	6480	-	7000	18000	9000
898	2840	6590	-	7000	18000	9000
912	2840	6590	-	7000	18000	9000
926	2900	6700	-	7000	18000	9000
940	2960	6810	-	7000	18000	9000
954	2960	6810	-	7000	18000	9000
968	3020	6920	-	7000	18000	9000
982	3080	7030	7010	7190	18500	9250
	3140	7140	7010	7190	18500	9250
	3200	7250	7200	7300	18500	9250

Table No.2

Concordance Table for Pensioners who retired in Group-D Pay Scales

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	775-12-871-14-1025
From 01.01.1996 to 31.12.2005	2610-60-3150-65-3540
From 01.01.2006 to 31.12.2015	4440-7440 GP 1400
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-1 (18000-56900)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Rev. Fam. pen: w.e.f. 1.1.2
			Minimum	Maximum			
775	2610	6260	-	7000	18000	9000	90
787	2610	6260	-	7000	18000	9000	90
799	2610	6260	-	7000	18000	9000	90
811	2670	6370	-	7000	18000	9000	90
823	2670	6370	-	7000	18000	9000	90
835	2670	6370	-	7000	18000	9000	90
847	2730	6480	-	7000	18000	9000	90
859	2730	6480	-	7000	18000	9000	90
871	2730	6480	-	7000	18000	9000	90
885	2790	6590	-	7000	18000	9000	90
899	2850	6710	-	7000	18000	9000	90
913	2850	6710	-	7000	18000	9000	90
927	2910	6820	-	7000	18000	9000	90
941	2970	6930	-	7000	18000	9000	90
955	2970	6930	-	7000	18000	9000	90
969	3030	7040	7010	7190	18500	9250	90
983	3090	7150	7010	7190	18500	9250	90
997	3090	7150	7010	7190	18500	9250	90
1011	3150	7260	7200	7430	19100	9550	90
1025	3215	7380	7200	7430	19100	9550	90
1039	3215	7380	7200	7430	19100	9550	90
1053	3280	7510	7440	7660	19700	9850	90
1067	3345	7630	7440	7660	19700	9850	90
	3410	7750	7670	7890	20300	10150	90

Table No.3

Concordance Table for Pensioners who retired in Group-D Pay Scales

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	
From 01.01.1996 to 31.12.2005	2610-60-2910-65--3300-70-4000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	4440-7440 GP 1600
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-1 (18000-56900)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pensik /Enhanced Family pension applicable] w.c 1.1.2016
			Minimum	Maximum		
	2610	6460	-	7000	18000	9000
	2670	6570	-	7000	18000	9000
	2730	6680	-	7000	18000	9000
	2790	6790	-	7000	18000	9000
	2850	6910	-	7000	18000	9000
	2910	7020	7010	7190	18500	9250
	2975	7140	7010	7190	18500	9250
	3040	7260	7200	7430	19100	9550
	3105	7380	7200	7430	19100	9550
	3170	7500	7440	7660	19700	9850
	3235	7620	7440	7660	19700	9850
	3300	7740	7670	7890	20300	10150
	3370	7870	7670	7890	20300	10150
	3440	8000	7900	8130	20900	10450
	3510	8130	7900	8130	20900	10450
	3580	8260	8140	8360	21500	10750
	3650	8390	8370	8590	22100	11050
	3720	8520	8370	8590	22100	11050
	3790	8650	8600	8870	22800	11400
	3860	8780	8600	8870	22800	11400
	3930	8910	8880	9140	23500	11750
	4000	9040	8880	9140	23500	11750
	4070	9170	9150	9410	24200	12100

Table No.4

Concordance Table for Pensioners who retired in Group-D Pay Scales

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	800-15-1010-20-1150
From 01.01.1996 to 31.12.2005	2650-65-3300-70-4000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	4440-7440 GP 1650
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-1 (18000-56900)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
800	2650	6580	-	7000	18000	9000	9000
815	2650	6580	-	7000	18000	9000	9000
830	2650	6580	-	7000	18000	9000	9000
845	2715	6700	-	7000	18000	9000	9000
860	2715	6700	-	7000	18000	9000	9000
875	2780	6830	-	7000	18000	9000	9000
890	2780	6830	-	7000	18000	9000	9000
905	2845	6950	-	7000	18000	9000	9000
920	2910	7070	7010	7190	18500	9250	9000
935	2910	7070	7010	7190	18500	9250	9000
950	2975	7190	7010	7190	18500	9250	9000
965	3040	7310	7200	7430	19100	9550	9000
980	3040	7310	7200	7430	19100	9550	9000
995	3105	7430	7200	7430	19100	9550	9000
1010	3170	7550	7440	7660	19700	9850	9000
1030	3170	7550	7440	7660	19700	9850	9000
1050	3235	7670	7670	7890	20300	10150	9000
1070	3300	7790	7670	7890	20300	10150	9000
1090	3370	7920	7900	8130	20900	10450	9000
1110	3440	8050	7900	8130	20900	10450	9000
1130	3510	8180	8140	8360	21500	10750	9000
1150	3580	8310	8140	8360	21500	10750	9000
1170	3650	8440	8370	8590	22100	11050	9000
1190	3650	8440	8370	8590	22100	11050	9000
1210	3720	8570	8370	8590	22100	11050	9000

Table No.5

Concordance Table for pensioners who retired during 6th CPC period after upgradation from Group-D Pay Scale to Group-C Pay Scale

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	
From 01.01.1996 to 31.12.2005	2550-55-2660-60-3200
From 01.01.2006 to 31.12.2015	5200-20700 GP 1800
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-1 (18000-36900)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		National Pay as on 01.01.2016	Revised Pension (Enhanced Family pension if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
	2550	7000		7000	18000	9000	9000
	2600	7000		7000	18000	9000	9000
	2660	7160	7010	7190	18500	9250	9000
	2720	7160	7010	7190	18500	9250	9000
	2780	7330	7200	7430	19100	9550	9000
	2840	7330	7200	7430	19100	9550	9000
	2900	7500	7440	7660	19700	9850	9000
	2960	7500	7440	7660	19700	9850	9000
	3020	7680	7670	7890	20300	10150	9000
	3080	7680	7670	7890	20300	10150	9000
	3140	7860	7670	7890	20300	10150	9000
	3200	7860	7670	7890	20300	10150	9000
	3260	7870	7670	7890	20300	10150	9000
	3320	7980	7900	8130	20900	10450	9000
	3380	8090	7900	8130	20900	10450	9000
			8140	8360	21500	10750	9000
			8370	8590	22100	11050	9000
			8600	8870	22800	11400	9000
			8880	9140	23500	11750	9000
			9150	9410	24200	12100	9000
			9420	9680	24900	12450	9000
			9690	9960	25600	12800	9000
			9970	10270	26400	13200	9000
			10280	10580	27200	13600	9000
			10590	10890	28000	14000	9000
			10900	11200	28800	14400	9000
			11210	11550	29700	14850	9000
			11560	11900	30600	15300	9180
			11910	12250	31500	15750	9450
			12260	12600	32400	16200	9720
			12610	12990	33400	16700	10020
			13000	13380	34400	17200	10320
			13390	13770	35400	17700	10620
			13780	14200	36500	18250	10950
			14210	14630	37600	18800	11280
			14640	15050	38700	19350	11610
			15060	15520	39900	19950	11970
			15530	15920	41100	20550	12330
			16000	16450	42300	21150	12690
			16460	16960	43600	21800	13080

Table No.6

Concordance Table for pensioners who retired during 6th CPC period after upgradation from Group-D Pay Scale to Group-C Pay Scale

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	775-12-871-14 1025
From 01.01.1996 to 31.12.2005	2610-60-3150-65-3540
From 01.01.2006 to 31.12.2015	5200-20700 GP 1800
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-1 (18000-56900)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		National Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
	2610	7000		7000	18000	9000	9000
	2670	7160	7010	7190	18500	9250	9000
	2730	7160	7010	7190	18500	9250	9000
	2790	7330	7200	7430	19100	9550	9000
	2850	7330	7200	7430	19100	9550	9000
	2910	7500	7440	7660	19700	9850	9000
	2970	7500	7440	7660	19700	9850	9000
	3030	7680	7670	7890	20300	10150	9000
	3090	7680	7670	7890	20300	10150	9000
	3150	7860	7670	7890	20300	10150	9000
	3215	7860	7670	7890	20300	10150	9000
	3280	7910	7900	8130	20900	10450	9000
	3345	8030	7900	8130	20900	10450	9000
	3410	8150	8140	8360	21500	10750	9000
	3475	8270	8140	8360	21500	10750	9000
	3540	8390	8370	8590	22100	11050	9000
	3605	8510	8370	8590	22100	11050	9000
	3670	8630	8600	8870	22800	11400	9000
	3735	8750	8600	8870	22800	11400	9000
			8880	9140	23500	11750	9000
			9150	9410	24200	12100	9000
			9420	9680	24900	12450	9000
			9690	9960	25600	12800	9000
			9970	10270	26400	13200	9000
			10280	10580	27200	13600	9000
			10580	10890	28000	14000	9000
			10900	11200	28800	14400	9000
			11210	11550	29700	14850	9000
			11560	11900	30600	15300	9180
			11910	12250	31500	15750	9450
			12260	12600	32400	16200	9720
			12610	12990	33400	16700	10020
			13000	13380	34400	17200	10320
			13390	13770	35400	17700	10620
			13780	14200	36500	18250	10950
			14210	14630	37600	18800	11280
			14640	15050	38700	19350	11610
			15060	15520	39900	19950	11970
			15530	15990	41100	20550	12330
			16000	16500	42300	21150	12690

Table No.7

Correspondence Table for pensioners who retired during 6th CPC period after upgradation from Group-D Pay Scale to Group-C Pay Scale

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	
From 01.01.1996 to 31.12.2005	2610-60-2920-65-3300-70-4000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	5200-20200 GP 3800
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-3 (18000-56900)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		National Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family Pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
	2610	7000	-	7000	18000	9000	9000
	2670	7160	7010	7100	18500	9250	9000
	2730	7320	7010	7190	19000	9500	9000
	2790	7480	7200	7430	19500	9750	9000
	2850	7640	7200	7430	19500	9750	9000
	2910	7800	7400	7650	19700	9850	9000
	2970	7960	7400	7650	19700	9850	9000
	3030	8120	7670	7890	20300	10150	9000
	3090	8280	7670	7890	20300	10150	9000
	3150	8440	7670	7890	20300	10150	9000
	3210	8600	7670	7890	20300	10150	9000
	3270	8760	7670	7890	20300	10150	9000
	3330	8920	7900	8130	20900	10450	9000
	3390	9080	7900	8130	20900	10450	9000
	3450	9240	8140	8360	21500	10750	9000
	3510	9400	8140	8360	21500	10750	9000
	3570	9560	8370	8590	22100	11050	9000
	3630	9720	8370	8590	22100	11050	9000
	3690	9880	8370	8590	22100	11050	9000
	3750	10040	8600	8820	22700	11400	9000
	3810	10200	8600	8820	22700	11400	9000
	3870	10360	8880	9140	23300	11750	9000
	3930	10520	8880	9140	23300	11750	9000
	3990	10680	9150	9410	24200	12100	9000
	4050	10840	9150	9410	24200	12100	9000
	4110	11000	9420	9680	24800	12450	9000
	4170	11160	9420	9680	24800	12450	9000
			9690	9960	25600	12800	9000
			9970	10270	26400	13200	9000
			10280	10580	27200	13600	9000
			10590	10890	28000	14000	9000
			10900	11200	28800	14400	9000
			11210	11550	29700	14850	9000
			11560	11900	30600	15300	9180
			11910	12250	31500	15750	9450
			12260	12600	32400	16200	9720
			12610	12990	33400	16700	10020
			13000	13380	34400	17200	10320
			13390	13770	35400	17700	10620
			13780	14160	36500	18250	10950
			14210	14610	37600	18800	11280
			14640	15050	38700	19350	11610
			15060	15520	39900	19950	11970
			15530	15990	41100	20550	12330
			16000	16450	42300	21150	12690

Table No.8

Concordance Table for pensioners who retired during 6th CPC period after upgradation from Group-D Pay Scale to Group-C Pay Scale

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	
From 01.01.1996 to 31.12.2005	2650-65-3300-70-4000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	5200-20200 GP 1800
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-1 (18000-56900)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
			-	7000	18000	9000	9000
	2650	7160	7010	7190	18500	9250	9000
	2715	7160	7010	7190	18500	9250	9000
	2780	7330	7200	7430	19100	9550	9000
	2845	7330	7200	7430	19100	9550	9000
	2910	7500	7440	7660	19700	9850	9000
	2975	7500	7440	7660	19700	9850	9000
	3040	7680	7670	7890	20300	10150	9000
	3105	7680	7670	7890	20300	10150	9000
	3170	7860	7670	7890	20300	10150	9000
	3235	7860	7670	7890	20300	10150	9000
	3300	7940	7900	8130	20900	10450	9000
	3370	8070	7900	8130	20900	10450	9000
	3440	8200	8140	8360	21500	10750	9000
	3510	8330	8140	8360	21500	10750	9000
	3580	8460	8170	8590	22100	11050	9000
	3650	8590	8370	8590	22100	11050	9000
	3720	8720	8600	8870	22800	11400	9000
	3790	8850	8600	8870	22800	11400	9000
	3860	8980	8880	9140	23500	11750	9000
	3930	9110	8880	9140	23500	11750	9000
	4000	9240	9150	9410	24200	12100	9000
	4070	9370	9150	9410	24200	12100	9000
	4140	9500	9420	9680	24900	12450	9000
	4210	9640	9420	9680	24900	12450	9000
			9690	9960	25600	12800	9000
			9970	10270	26400	13200	9000
			10280	10580	27200	13600	9000
			10590	10890	28000	14000	9000
			10900	11200	28800	14400	9000
			11210	11550	29700	14850	9000
			11540	11900	30600	15300	9180
			11910	12250	31500	15750	9450
			12260	12600	32400	16200	9720
			12610	12990	33400	16700	10020
			13000	13380	34400	17200	10320
			13390	13770	35400	17700	10620
			13780	14200	36500	18250	10950
			14210	14630	37600	18800	11280
			14640	15050	38700	19350	11610
			15060	15510	39800	19950	11970
			15530	15990	41100	20650	12330
			16000	16450	42300	21150	12690
			16460	16950	43600	21800	13080

Table No.9

Scale of pay/Pay in this Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

Period of retirement	Scale of pay
From 01.01.1986 to 31.12.1995	825-15-900-20-1200
From 01.01.1996 to 31.12.2005	2750-70-3800-75-4800
From 01.01.2006 to 31.12.2015	5100-20700 GP 2800
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-1 (18000-56900)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
			7000	7000	18000	9000	9000
			7010	7190	18500	9250	9000
825	2750	7330	7200	7430	19100	9550	9000
840	2750	7330	7300	7430	19100	9550	9000
855	2750	7330	7300	7430	19100	9550	9000
870	2820	7330	7300	7430	19100	9550	9000
885	2820	7330	7300	7430	19100	9550	9000
900	2820	7330	7300	7430	19100	9550	9000
920	2890	7500	7440	7660	19700	9850	9000
940	2960	7500	7440	7660	19700	9850	9000
960	3030	7680	7670	7890	20300	10150	9000
980	3030	7680	7670	7890	20300	10150	9000
1000	3100	7860	7670	7890	20300	10150	9000
1020	3170	7860	7670	7890	20300	10150	9000
1040	3240	7860	7670	7890	20300	10150	9000
1060	3310	7960	7900	8130	20900	10450	9000
1080	3380	8090	7900	8130	20900	10450	9000
1100	3380	8090	7900	8130	20900	10450	9000
1120	3450	8220	8140	8360	21500	10750	9000
1140	3520	8350	8140	8360	21500	10750	9000
1160	3590	8480	8170	8390	22100	11050	9000
1180	3660	8610	8600	8870	22800	11400	9000
1200	3730	8740	8600	8870	22800	11400	9000
1220	3800	8870	8600	8870	22800	11400	9000
1240	3800	8870	8600	8870	22800	11400	9000
1260	3870	9010	8880	9140	23500	11750	9000
	3950	9150	8880	9140	23500	11750	9000
	4025	9280	9150	9410	24200	12100	9000
	4100	9430	9420	9680	24800	12450	9000
	4175	9570	9420	9680	24800	12450	9000
	4250	9710	9680	9960	25400	12800	9000
	4325	9850	9680	9960	25400	12800	9000
	4400	9990	9970	10270	26000	13200	9000
	4475	10130	9970	10270	26000	13200	9000
	4550	10270	9970	10270	26000	13200	9000
	4625	10410	10280	10580	27200	13600	9000
			10590	10890	28000	14000	9000
			10900	11200	28800	14400	9000
			11210	11500	29700	14850	9000
			11560	11800	30600	15300	9180
			11910	12250	31500	15750	9450
			12240	12600	32400	16200	9720
			12610	12950	33400	16700	10010
			13000	13380	34400	17200	10310
			13390	13770	35400	17700	10610
			13780	14200	36500	18250	10910
			14110	14630	37600	18800	11210
			14440	15050	38700	19350	11510
			14860	15520	39900	19950	11970
			15310	15980	41100	20550	12330

Table No.10

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	950-10-1150-25-1400
From 01.01.1996 to 31.12.2005	3060-75-3950-80-4590
From 01.01.2006 to 31.12.2015	5200-20200 GP 1900
Corresponding level w.e.f 1.1.2016	Level 2 (19900-63700)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
				7740	29900	9950	9000
950	3050	7780	7750	7970	20500	10250	9000
970	3050	7780	7750	7970	20500	10250	9000
990	3125	7960	7750	7970	20500	10250	9000
1010	3125	7960	7750	7970	20500	10250	9000
1030	3200	7960	7750	7970	20500	10250	9000
1050	3275	8000	7980	8210	21100	10550	9000
1070	3350	8140	7980	8210	21100	10550	9000
1090	3350	8140	7980	8210	21100	10550	9000
1110	3425	8280	8220	8440	21700	10850	9000
1130	3500	8410	8220	8440	21700	10850	9000
1150	3575	8550	8450	8710	22400	11200	9000
1175	3650	8690	8450	8710	22400	11200	9000
1200	3725	8830	8720	8980	23100	11550	9000
1225	3800	8970	8720	8980	23100	11550	9000
1250	3875	9110	8990	9260	23800	11900	9000
1275	3950	9250	8990	9260	23800	11900	9000
1300	4030	9400	9170	9530	24500	12250	9000
1325	4110	9550	9540	9800	25200	12600	9000
1350	4190	9700	9540	9800	25200	12600	9000
1375	4270	9850	9810	10110	26000	13000	9000
1400	4350	10000	9810	10110	26000	13000	9000
1425	4350	10000	9810	10110	26000	13000	9000
1450	4430	10140	10120	10420	26800	13400	9000
1475	4510	10290	10120	10420	26800	13400	9000
	4590	10440	10430	10730	27600	13800	9000
	4670	10590	10430	10730	27600	13800	9000
	4750	10740	10740	11050	28400	14200	9000
	4810	10890	10740	11050	28400	14200	9000
			11060	11400	29300	14650	9000
			11410	11750	30200	15100	9000
			11760	12100	31100	15550	9330
			12110	12450	32000	16000	9600
			12460	12840	33000	16500	9900
			12850	13220	34000	17000	10200
			13230	13610	35000	17500	10500
			13620	14040	36100	18050	10830
			14050	14470	37200	18600	11160
			14480	14900	38300	19150	11490
			14910	15330	39400	19700	11820
			15340	15790	40600	20300	12180
			15800	16260	41800	20900	12540
			16270	16770	43100	21550	12930
			16780	17270	44400	22200	13320
			17280	17780	45700	22850	13710
			17790	18320	47100	23550	14130

Table No.11

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	950-20-1150-25-1500
From 01.01.1996 to 31.12.2005	3050-75-3950-80-4590
From 01.01.2006 to 31.12.2015	5200-20700 GP 1900
Corresponding level w.e.f 1.1.2016	Level 2 (19900-63200)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay w.e.f 01.01.2016	Revised Pension (enhanced Family pension (if applicable) w.e.f 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
				7740	19900	9950	9000
950	3050	7780	7750	7970	20500	10250	9000
970	3050	7780	7750	7970	20500	10250	9000
990	3125	7960	7750	7970	20500	10250	9000
1010	3125	7960	7750	7970	20500	10250	9000
1030	3200	7960	7750	7970	20500	10250	9000
1050	3275	8000	7980	8210	21100	10550	9000
1070	3350	8140	7980	8210	21100	10550	9000
1090	3350	8140	7980	8210	21100	10550	9000
1110	3425	8280	8220	8440	21700	10850	9000
1130	3500	8410	8220	8440	21700	10850	9000
1150	3575	8550	8450	8710	22400	11200	9000
1175	3650	8690	8450	8710	22400	11200	9000
1200	3725	8830	8720	8980	23100	11550	9000
1225	3800	8970	8720	8980	23100	11550	9000
1250	3875	9110	8990	9260	23800	11900	9000
1275	3950	9250	8990	9260	23800	11900	9000
1300	4030	9400	9270	9530	24500	12250	9000
1325	4110	9550	9540	9800	25200	12600	9000
1350	4190	9700	9540	9800	25200	12600	9000
1375	4270	9850	9810	10110	26000	13000	9000
1400	4350	10000	9810	10110	26000	13000	9000
1425	4430	10150	10120	10420	26800	13400	9000
1450	4510	10300	10120	10420	26800	13400	9000
1475	4590	10450	10430	10730	27600	13800	9000
1500	4670	10600	10430	10730	27600	13800	9000
1525	4750	10750	10740	11050	28400	14200	9000
1550	4830	10900	10740	11050	28400	14200	9000
1575			11060	11400	29300	14650	9000
			11410	11750	30200	15100	9000
			11760	12100	31100	15550	9000
			12110	12450	32000	16000	9000
			12460	12840	33000	16500	9000
			12850	13220	34000	17000	9000
			13230	13610	35000	17500	9000
			13620	14040	36100	18050	9000
			14050	14470	37200	18600	9000
			14480	14900	38300	19150	9000
			14910	15330	39400	19700	9000
			15340	15790	40600	20300	9000
			15800	16260	41800	20900	9000
			16270	16770	43100	21550	9000
			16780	17270	44400	22200	9000
			17280	17780	45700	22850	9000
			17790	18320	47100	23550	9000

Table No.12

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	1150-25-1500
From 01.01.1996 to 31.12.2005	3050-75-3950-80-4590
From 01.01.2006 to 31.12.2015	5200-20200 GP 1900
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-2 (19900-63200)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay from 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
			7780	7780	19900	9950	9000
			7750	7970	20500	10250	9000
			7980	8210	21100	10550	9000
			8220	8440	21700	10850	9000
1150	3575	8550	8450	8710	22400	11200	9000
1175	3650	8690	8450	8710	22400	11200	9000
1200	3725	8830	8720	8980	23100	11550	9000
1225	3800	8970	8720	8980	23100	11550	9000
1250	3875	9110	8990	9260	23800	11900	9000
1275	3950	9250	8990	9260	23800	11900	9000
1300	4030	9400	9270	9530	24500	12250	9000
1325	4110	9550	9540	9800	25200	12600	9000
1350	4190	9700	9540	9800	25700	12600	9000
1375	4270	9850	9810	10110	26000	13000	9000
1400	4350	10000	9810	10110	26000	13000	9000
1425	4350	10000	9810	10110	26000	13000	9000
1450	4430	10140	10120	10420	26800	13400	9000
1475	4510	10290	10120	10420	26800	13400	9000
1500	4590	10440	10430	10730	27600	13800	9000
1525	4590	10440	10430	10730	27600	13800	9000
1550	4590	10440	10430	10730	27600	13800	9000
1575	4590	10440	10430	10730	27600	13800	9000
	4670	10590	10430	10730	27600	13800	9000
	4750	10740	10740	11050	28400	14200	9000
	4830	10890	10740	11050	28400	14200	9000
			11060	11400	29300	14650	9000
			11410	11750	30200	15100	9000
			11760	12100	31100	15550	9330
			12110	12450	32000	16000	9600
			12460	12840	33000	16500	9900
			12850	13220	34000	17000	10200
			13230	13610	35000	17500	10500
			13620	14040	36100	18050	10830
			14050	14470	37200	18600	11160
			14480	14900	38300	19150	11490
			14910	15330	39400	19700	11820
			15340	15790	40600	20300	12180
			15800	16260	41800	20900	12540
			16270	16770	43100	21550	12930
			16780	17270	44400	22200	13320
			17280	17780	45700	22850	13710
			17790	18320	47100	23550	14130
			18330	18870	48500	24250	14550
			18880	19430	49900	24950	14970

Table No.13

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1985 to 31.12.1995	975-25-1150-30-1540
From 01.01.1996 to 31.12.2005	3200-85-4900
From 01.01.2006 to 31.12.2015	5200-20200 GP 2000
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-3 (21700-69100)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
975	3700	8060		8440	21700	10850	9000
1000	3700	8060		8440	21700	10850	9000
1025	3200	8060		8440	21700	10850	9000
1050	3285	8110		8440	21700	10850	9000
1075	3370	8270		8440	21700	10850	9000
1100	3455	8430		8440	21700	10850	9000
1125	3455	8430		8440	21700	10850	9000
1150	3540	8590	8450	8710	22400	11200	9000
1180	3625	8750	8720	8980	23100	11550	9000
1210	3710	8910	8720	8980	23100	11550	9000
	3795	9070	8990	9260	23800	11900	9000
1240	3880	9230	8990	9260	23800	11900	9000
1270	3965	9380	9270	9530	24500	12250	9000
1300	4050	9540	9540	9800	25200	12600	9000
1330	4135	9700	9540	9800	25200	12600	9000
1360	4220	9850	9810	10110	26000	13000	9000
1390	4305	10010	9810	10110	26000	13000	9000
1420	4390	10170	10120	10420	26800	13400	9000
1450	4475	10330	10120	10420	26800	13400	9000
1480	4560	10490	10430	10730	27600	13800	9000
1510	4645	10640	10430	10730	27600	13800	9000
1540	4730	10800	10740	11050	28400	14200	9000
1570	4815	10960	10740	11050	28400	14200	9000
1600	4900	11120	11060	11400	29300	14650	9000
1630	4900	11120	11060	11400	29300	14650	9000
	4985	11280	11060	11400	29300	14650	9000
	5070	11430	11410	11750	30200	15100	9000
	5155	11590	11410	11750	30200	15100	9000
			11740	12100	31100	15550	9330
			12110	12450	32000	16000	9600
			12460	12840	33000	16500	9900
			12850	13220	34000	17000	10200
			13230	13610	35000	17500	10500
			13620	14040	36100	18050	10800
			14050	14470	37200	18600	11100
			14480	14900	38300	19150	11400
			14910	15330	39400	19700	11820
			15340	15790	40600	20300	12180
			15800	16260	41800	20900	12540
			16270	16770	43100	21550	12930
			16780	17270	44400	22200	13320
			17280	17780	45700	22850	13710
			17790	18320	47100	23550	14130
			18330	18870	48500	24250	14550
			18880	19450	50000	25000	15000
			19460	20030	51500	25750	15450

Table No.14

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	975-25-1150-30-1660
From 01.01.1996 to 31.12.2005	5700-85-4900
From 01.01.2006 to 31.12.2015	5200-20200 GP 2000
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-3 (21700-69100)

Basic Pay from 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay from 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay from 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
975	3100	8060	-	8440	21700	10850	9000
1000	3200	8060	-	8440	21700	10850	9000
1025	3200	8060	-	8440	21700	10850	9000
1050	3245	8110	-	8440	21700	10850	9000
1075	3370	8170	-	8440	21700	10850	9000
1100	3455	8430	-	8440	21700	10850	9000
1125	3455	8430	-	8440	21700	10850	9000
1150	3540	8590	8450	8710	22400	11200	9000
1180	3625	8750	8720	8980	23100	11550	9000
1210	3710	8910	8720	8980	23100	11550	9000
1240	3795	9060	8990	9260	23800	11900	9000
1270	3880	9220	8990	9260	23800	11900	9000
1300	3965	9380	9270	9530	24500	12250	9000
1330	4050	9540	9540	9800	25200	12600	9000
1360	4135	9700	9540	9800	25200	12600	9000
1390	4220	9850	9810	10110	26000	13000	9000
1420	4305	10010	9810	10110	26000	13000	9000
1450	4390	10170	10120	10470	26800	13400	9000
1480	4475	10330	10120	10470	26800	13400	9000
1510	4560	10490	10470	10750	27600	13800	9000
1540	4645	10640	10470	10750	27600	13800	9000
1570	4730	10800	10740	11050	28400	14200	9000
1600	4815	10960	10740	11050	28400	14200	9000
1630	4900	11120	11060	11400	29300	14650	9000
1660	4985	11280	11060	11400	29300	14650	9000
1690	5070	11430	11060	11400	29300	14650	9000
1720	5155	11590	11430	11750	30200	15100	9000
1750	5240	11750	11430	11750	30200	15100	9000
			11760	12100	31100	15550	9330
			12110	12450	32000	16000	9600
			12460	12840	33000	16500	9900
			12850	13210	34000	17000	10200
			13230	13610	35000	17500	10500
			13620	14040	36100	18000	10800
			14030	14470	37200	18600	11100
			14480	14900	38300	19150	11400
			14910	15330	39400	19700	11700
			15340	15790	40600	20300	12100
			15800	16260	41800	20900	12500
			16270	16770	43100	21550	12950
			16780	17270	44400	22200	13320
			17280	17780	45700	22850	13710
			17790	18320	47100	23550	14130
			18330	18870	48500	24250	14550
			18880	19450	50000	25000	15000
			19460	20030	51500	25750	15450
							15900

Table No.15

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	1200-30-1440-30-1800
From 01.01.1996 to 31.12.2005	4000-100-6000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	5200-20200 GP 2400
Corresponding level w.e.f 1.1.2016	Level-4 (25500-81100)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
1200	4000	9540	-	9920	25500	12750	9000
1230	4000	9540	-	9920	25500	12750	9000
1260	4000	9540	-	9920	25500	12750	9000
1290	4100	10010	9930	10230	26300	13150	9000
1320	4100	10010	9930	10230	26300	13150	9000
1350	4200	10770	9930	10230	26300	13150	9000
1380	4300	10400	10240	10540	27100	13550	9000
1410	4400	10590	10550	10850	27900	13950	9000
1440	4400	10590	10550	10850	27900	13950	9000
1470	4500	10770	10550	10850	27900	13950	9000
1500	4600	10960	10860	11160	28700	14350	9000
1530	4700	11150	10860	11160	28700	14350	9000
1560	4800	11330	11170	11510	29600	14800	9000
1590	4900	11520	11520	11860	30500	15250	9150
1620	5000	11700	11520	11860	30500	15250	9150
1650	5100	11890	11870	12210	31400	15700	9420
1680	5200	12080	11870	12210	31400	15700	9420
1710	5300	12260	12220	12560	32300	16150	9690
1740	5400	12450	12220	12560	32300	16150	9690
1770	5500	12630	12570	12910	33300	16650	9990
1800	5600	12820	12570	12910	33300	16650	9990
1830	5700	13010	12960	13340	34300	17150	10290
1860	5800	13190	12960	13340	34300	17150	10290
1890	5900	13380	13350	13730	35300	17650	10590
	6000	13560	13350	13730	35300	17650	10590
	6100	13750	13740	14160	36400	18200	10920
	6200	13940	13740	14160	36400	18200	10920
	6300	14120	13740	14160	36400	18200	10920
			14170	14590	37500	18750	11250
			14600	15010	38600	19300	11580
			15070	15480	39800	19900	11940
			15490	15950	41000	20500	12300
			15960	16420	42200	21100	12660
			16430	16920	43500	21750	13050
			16930	17430	44800	22400	13440
			17440	17930	46100	23050	13830
			17940	18480	47500	23750	14250
			18490	19070	48900	24450	14670
			19030	19610	50400	25200	15120
			19620	20190	51900	25950	15570
			20200	20810	53500	26750	16050
			20820	21450	55100	27550	16530
			21440	22100	56800	28400	17040
			22110	22780	58500	29250	17550
			22770	23460	60300	30150	18090

Table No.16

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	1200-30-1560-40 2040
From 01.01.1996 to 31.12.2005	4000-100-6000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	5200-20200 GP 2400
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-4 (25500-81300)

Basic Pay from 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay from 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay from 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Nominal Pay as on 01.01.2016	Revised Pension (Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
1200	4000	9840		9920	25500	12750	9000
1230	4000	9840		9920	25500	12750	9000
1260	4000	9840		9920	25500	12750	9000
1290	4100	10030	9930	10230	26300	13150	9000
1320	4100	10030	9930	10230	26300	13150	9000
1350	4200	10220	9930	10230	26300	13150	9000
1380	4300	10400	10240	10540	27100	13550	9000
1410	4400	10590	10350	10850	27900	13950	9000
1440	4400	10590	10350	10850	27900	13950	9000
1470	4500	10770	10350	10850	27900	13950	9000
1500	4600	10960	10860	11160	28700	14350	9000
1530	4700	11150	10860	11160	28700	14350	9000
1560	4800	11330	11170	11530	29600	14800	9000
1600	4900	11520	11520	11860	30500	15250	9150
1640	5000	11700	11520	11860	30500	15250	9150
	5100	11890	11870	12210	31400	15700	9420
1680	5200	12080	11870	12210	31400	15700	9420
1720	5300	12260	12220	12560	32300	16150	9690
1760	5400	12450	12220	12560	32300	16150	9690
1800	5500	12630	12570	12950	33300	16660	9960
1840	5600	12820	12570	12950	33300	16660	9960
	5700	13010	12960	13340	34300	17160	10230
1880	5800	13190	12960	13340	34300	17160	10230
1920	5900	13380	13350	13730	35300	17660	10500
1960	6000	13560	13350	13730	35300	17660	10500
2000	6000	13560	13350	13730	35300	17660	10500
2040	6000	13560	13350	13730	35300	17660	10500
2080	6000	13560	13350	13730	35300	17660	10500
2120	6000	13560	13350	13730	35300	17660	10500
2160	6000	13560	13350	13730	35300	17660	10500
	6100	13750	13740	14160	36400	18200	10920
	6200	13940	13740	14160	36400	18200	10920
	6300	14120	13740	14160	36400	18200	10920
			14170	14590	37500	18750	11250
			14600	15010	38600	19300	11580
			15020	15480	39800	19900	11940
			15490	15950	41000	20500	12300
			15960	16420	42200	21100	12660
			16430	16930	43500	21750	13030
			16910	17430	44800	22400	13440
			17440	17930	46100	23050	13830
			17940	18480	47500	23750	14250
			18490	19020	48900	24450	14670
			19030	19610	50400	25200	15120
			19620	20190	51900	25950	15570
			20200	20810	53500	26750	16050
			20820	21430	55100	27510	16530
			21440	22100	56800	28420	17040
			22110	22760	58500	29250	17550
			22770	23460	60300	30150	18090
			23470	24160	62100	31050	18630

Dmaji

Table No.17

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	1320-30-1560-40-2060
From 01.01.1996 to 31.12.2005	4000-100-6000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	5200-20200 GP 2400
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-4 (25500-81100)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
1320	4000	9840	-	9920	25500	12750	8000
1350	4100	10030	9930	10230	26300	13150	8000
1380	4200	10220	9990	10290	26300	13150	8000
1410	4300	10400	10240	10540	27100	13550	9000
1440	4400	10590	10550	10850	27900	13950	9000
1470	4500	10770	10550	10850	27900	13950	9000
1500	4600	10960	10860	11160	28700	14350	9000
1530	4700	11150	10860	11160	28700	14350	9000
1560	4800	11330	11170	11510	29600	14800	9000
1600	4900	11520	11520	11860	30500	15250	8150
1640	5000	11700	11520	11860	30500	15250	8150
	5100	11890	11870	12210	31400	15700	8420
1680	5200	12080	11870	12210	31400	15700	8420
1720	5300	12260	12220	12560	32300	16150	8690
1760	5400	12450	12220	12560	32300	16150	8690
1800	5500	12630	12570	12950	33300	16650	8990
1840	5600	12820	12570	12950	33300	16650	8990
	5700	13010	12960	13340	34300	17150	10290
1880	5800	13190	12960	13340	34300	17150	10290
1920	5900	13380	13350	13730	35300	17650	10590
1960	6000	13560	13350	13730	35300	17650	10590
2000	6000	13560	13350	13730	35300	17650	10590
2040	6000	13560	13350	13730	35300	17650	10590
2080	6000	13560	13350	13730	35300	17650	10590
2120	6000	13560	13350	13730	35300	17650	10590
2160	6000	13560	13350	13730	35300	17650	10590
	6100	13750	13740	14160	36400	18200	10920
	6200	13940	13740	14160	36400	18200	10920
	6300	14120	13740	14160	36400	18200	10920
			14170	14590	37500	18750	11250
			14600	15010	38600	19300	11580
			15020	15480	39600	19900	11940
			15490	15950	40600	20500	12300
			15960	16420	42200	21100	12660
			16430	16920	43500	21750	13050
			16930	17430	44800	22400	13440
			17440	17930	46100	23050	13830
			17940	18480	47500	23750	14250
			18490	19020	48900	24450	14670
			19030	19610	50400	25200	15120
			19620	20190	51900	25950	15570
			20200	20810	53500	26750	16050
			20820	21430	55100	27550	16530
			21440	22100	56800	28400	17040
			22110	22760	58500	29250	17550
			22770	23460	60300	30150	18090

Amey

Table No.18

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	1350-30-1440-40-1800-50-2200
From 01.01.1996 to 31.12.2005	4500-125-7000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	5200-20200 GP 2800
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-5 (79200-92300)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
1350	4500	11170	-	11360	29700	14600	9000
1380	4500	11170	-	11360	29700	14600	9000
1410	4500	11170	-	11360	29700	14600	9000
1440	4625	11410	11370	11710	30100	15050	9030
1480	4625	11410	11370	11710	30100	15050	9030
1520	4750	11640	11370	11710	30100	15050	9030
1560	4750	11640	11370	11710	30100	15050	9030
1600	4875	11870	11720	12060	31000	15500	9300
1640	5000	12100	12070	12410	31900	15950	9570
1680	5125	12340	12070	12410	31900	15950	9570
1720	5250	12570	12420	12800	32900	16450	9870
1760	5375	12800	12420	12800	32900	16450	9870
1800	5500	13030	12810	13190	33900	16950	10170
1850	5625	13270	13200	13570	34900	17450	10470
	5750	13500	13200	13570	34900	17450	10470
1900	5875	13730	13580	13960	35900	17950	10770
1950	6000	13960	13580	13960	35900	17950	10770
2000	6125	14200	13970	14390	37000	18500	11100
2050	6250	14430	14400	14820	38100	19050	11430
2100	6375	14660	14400	14820	38100	19050	11430
	6500	14890	14830	15250	39200	19600	11760
2150	6625	15130	14830	15250	39200	19600	11760
2200	6750	15360	15260	15710	40300	20200	12120
2250	6875	15590	15260	15710	40300	20200	12120
2300	7000	15820	15720	16180	41600	20800	12480
2350	7000	15820	15720	16180	41600	20800	12480
	7125	16060	15720	16180	41600	20800	12480
	7250	16290	16190	16650	42800	21400	12840
	7375	16520	16190	16650	42800	21400	12840
			16660	17150	44100	22050	13230
			17160	17660	45400	22700	13620
			17670	18210	46800	23400	14040
			18220	18750	48200	24100	14460
			18760	19290	49600	24800	14880
			19300	19880	51100	25550	15330
			19890	20460	52600	26300	15780
			20470	21080	54200	27100	16260
			21090	21710	55800	27900	16740
			21720	22370	57500	28750	17250
			22380	23070	59200	29600	17760
			23040	23730	61000	30500	18300
			23740	24430	62800	31400	18840
			24440	25170	64700	32350	19410
			25180	25910	66600	33300	19980
			25920	26690	68600	34300	20580
			26700	27400	70700	35300	21210

Table No.19

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	1400-40-1800-50-2300
From 01.01.1996 to 31.12.2005	4500-125-7000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	5200-20200 GP 2800
Corresponding level w.e.f 1.1.2016	Level-5 (29200-97300)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		National Pay as on 01.01.2015	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
1400	4500	11170	-	11360	29200	14600	9000
1440	4500	11170	-	11360	29200	14600	9000
1480	4625	11410	11370	11710	30100	15050	9030
1520	4750	11640	11370	11710	30100	15050	9030
1560	4750	11640	11370	11710	30100	15050	9030
1600	4875	11870	11720	12060	31000	15500	9100
1640	5000	12100	12070	12410	31900	15950	9570
1680	5125	12340	12070	12410	31900	15950	9570
1720	5250	12570	12420	12800	32900	16450	9870
1760	5375	12800	12420	12800	32900	16450	9870
1800	5500	13030	12810	13190	33900	16950	10170
1850	5625	13270	13200	13570	34900	17450	10470
	5750	13500	13200	13570	34900	17450	10470
1900	5875	13730	13580	13960	35900	17950	10770
1950	6000	13960	13580	13960	35900	17950	10770
2000	6125	14200	13970	14390	37000	18500	11100
2050	6250	14430	14400	14820	38100	19050	11430
2100	6375	14660	14400	14820	38100	19050	11430
	6500	14890	14830	15250	39200	19600	11760
2150	6625	15130	14830	15250	39200	19600	11760
2200	6750	15360	15260	15710	40400	20200	12120
2250	6875	15590	15260	15710	40400	20200	12120
2300	7000	15820	15720	16180	41600	20800	12480
2350	7000	15820	15720	16180	41600	20800	12480
2400	7000	15820	15720	16180	41600	20800	12480
2450	7000	15820	15720	16180	41600	20800	12480
			16190	16650	42800	21400	12840
			16660	17250	44100	22050	13230
			17160	17660	45400	22700	13620
			17670	18210	46800	23400	14040
			18220	18750	48200	24100	14460
			18760	19290	49600	24800	14880
			19300	19880	51100	25550	15330
			19880	20460	52600	26300	15780
			20470	21080	54200	27100	16260
			21090	21710	55800	27900	16740
			21720	22370	57500	28750	17250
			22380	23030	59200	29600	17760
			23040	23730	61000	30500	18300
			23740	24430	62800	31400	18840
			24440	25170	64700	32350	19410
			25180	25910	66600	33300	19980
			25920	26690	68600	34300	20580
			26700	27500	70700	35350	21210

(54)

Table No.20

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of recruitment

From 01.01.1986 to 31.12.1995	1400-40-1600-50-2300-60-2600
From 01.01.1996 to 31.12.2005	5000-150-8000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	9300-34800 GP 4200
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-6 (35400-112400)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
1400	5000	13500	-	13770	35400	17700	10670
1440	5000	13500	-	13770	35400	17700	10670
1480	5000	13500	-	13770	35400	17700	10670
1520	5150	13780	13780	14200	36500	18250	10950
1560	5150	13780	13780	14200	36500	18250	10950
1600	5150	13780	13780	14200	36500	18250	10950
1650	5300	14060	13780	14200	36500	18250	10950
1700	5300	14060	13780	14200	36500	18250	10950
1750	5450	14380	14210	14630	37600	18800	11280
1800	5450	14380	14210	14630	37600	18800	11280
1850	5750	14900	14640	15050	38700	19350	11610
1900	5900	15180	15060	15520	39900	19950	11970
1950	6050	15460	15060	15520	39900	19950	11970
2000	6200	15740	15530	15990	41100	20550	12330
2050	6350	16020	16000	16450	42300	21150	12690
2100	6500	16290	16000	16450	42300	21150	12690
2150	6650	16570	16460	16860	43500	21800	13080
2200	6800	16850	16460	16860	43500	21800	13080
2250	6950	17130	16970	17470	44900	22450	13470
2300	7100	17410	16970	17470	44900	22450	13470
2350	7250	17690	17480	17970	46200	23100	13860
2400	7400	17970	17480	17970	46200	23100	13860
2450	7550	18250	17980	18520	47600	23800	14280
2500	7700	18530	18530	19060	49000	24500	14700
2550	7850	18810	18530	19060	49000	24500	14700
2600	8000	19090	19070	19640	50500	25250	15150
2650	8000	19090	19070	19640	50500	25250	15150
2700	8150	19360	19070	19640	50500	25250	15150
2750	8300	19640	19650	20230	52000	26000	15600
	8450	19910	19650	20230	52000	26000	15600
			20240	20850	53600	26800	16080
			20860	21470	55200	27600	16560
			21480	22140	56800	28450	17070
			22150	22800	58600	29300	17580
			22810	23500	60400	30200	18120
			23510	24200	62200	31100	18660
			24210	24940	64100	32050	19230
			24950	25680	66000	33000	19800
			25690	26450	68000	34000	20400
			26460	27230	70000	35000	21000
			27240	28050	72100	36050	21630
			28060	28910	74300	37150	22290
			28920	29760	76500	38250	22950
			29770	30640	78800	39400	23640
			30670	31590	81200	40600	24360
			31600	32520	83600	41800	25080

Kunz

Table No.21

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	1600-50-2300-60-2660
From 01.01.1996 to 31.12.2005	5000-150-8000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	9300-34800 GP 4200
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-6 (35400-112400)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
1600	5000	13500		13770	35400	17700	10620
1650	5150	13780	13780	14200	36500	18250	10950
1700	5300	14060	13780	14200	36500	18250	10950
1750	5450	14340	14210	14630	37600	18800	11280
1800	5600	14620	14210	14630	37600	18800	11280
1850	5750	14900	14640	15050	38700	19350	11610
1900	5900	15180	15060	15520	39900	19950	11970
1950	6050	15460	15060	15520	39900	19950	11970
2000	6200	15740	15530	15990	41100	20550	12330
2050	6350	16020	16000	16450	42300	21150	12690
2100	6500	16290	16000	16450	42300	21150	12690
2150	6650	16570	16460	16960	43600	21800	13080
2200	6800	16850	16460	16960	43600	21800	13080
2250	6950	17130	16970	17470	44900	22450	13470
2300	7100	17410	16970	17470	44900	22450	13470
2360	7250	17690	17480	17970	46200	23100	13860
2420	7400	17970	17480	17970	46200	23100	13860
2480	7550	18250	17980	18520	47600	23800	14280
2540	7700	18530	18530	19060	49000	24500	14700
2600	7850	18810	18530	19060	49000	24500	14700
2660	8000	19080	19070	19640	50500	25250	15150
2720	8000	19080	19070	19640	50500	25250	15150
2780	8000	19080	19070	19640	50500	25250	15150
2840	8000	19080	19070	19640	50500	25250	15150
	8150	19360	19070	19640	50500	25250	15150
	8300	19640	19070	19640	50500	25250	15150
	8450	19920	19650	20230	52000	26000	15600
			20240	20850	53600	26800	16080
			20860	21470	55200	27600	16560
			21480	22140	56900	28450	17070
			22150	22800	58600	29100	17580
			22810	23500	60400	30200	18120
			23510	24200	62200	31100	18660
			24210	24940	64100	32050	19230
			24950	25680	66000	33000	19800
			25690	26450	68000	34000	20400
			26460	27230	70000	35000	21000
			27240	28050	72100	36050	21630
			28060	28910	74300	37150	22290
			28920	29760	76500	38250	22950
			29770	30660	78800	39400	23640
			30670	31590	81200	40600	24360
			31600	32520	83600	41800	25080

Table No.22

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	1640-60-2600-75-2900
From 01.01.1996 to 31.12.2005	5500-175-9000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	9300-34800 GP 4200
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-6 (35400-112400)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /enhanced family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
			13770	13770	35400	17700	10620
			13780	14200	36500	18250	10950
1640	5500	14430	14210	14630	37600	18800	11280
1700	5500	14430	14210	14630	37600	18800	11280
1760	5500	14430	14210	14630	37600	18800	11280
1820	5675	14760	14640	15050	38700	19350	11610
1880	5850	15090	15060	15520	39900	19950	11970
1940	6025	15410	15060	15520	39900	19950	11970
2000	6200	15740	15530	15990	41100	20550	12330
2060	6375	16060	16000	16450	42300	21150	12690
2120	6550	16390	16000	16450	42300	21150	12690
2180	6725	16710	16460	16960	43600	21800	13080
2240	6900	17040	16970	17470	44900	22450	13470
2300	7075	17360	16970	17470	44900	22450	13470
2360	7250	17690	17480	17970	46200	23100	13860
2420	7425	18020	17980	18520	47600	23800	14280
2480	7600	18340	17980	18520	47600	23800	14280
2540	7775	18670	18530	19060	49000	24500	14700
2600	7950	18990	18530	19060	49000	24500	14700
2675	8125	19320	19070	19640	50500	25250	15150
2750	8300	19640	19070	19640	50500	25250	15150
	8475	19970	19650	20230	52000	26000	15600
2825	8650	20290	20240	20850	53600	26800	16080
2900	8825	20620	20240	20850	53600	26800	16080
2975	9000	20940	20860	21470	55200	27600	16560
3050	9000	20940	20860	21470	55200	27600	16560
3125	9000	20940	20860	21470	55200	27600	16560
	9175	21270	20860	21470	55200	27600	16560
	9350	21600	21480	22140	56900	28450	17070
	9525	21920	21480	22140	56900	28450	17070
			22150	22800	58700	29300	17580
			22810	23500	60400	30200	18120
			23510	24200	62200	31100	18660
			24210	24940	64100	32050	19230
			24950	25680	66000	33000	19800
			25690	26450	68000	34000	20400
			26460	27230	70000	35000	21000
			27240	28050	72100	36050	21630
			28060	28910	74300	37150	22290
			28920	29760	76500	38250	22950
			29770	30660	78800	39400	23640
			30670	31590	81200	40600	24360
			31600	32520	83600	41800	25080
			32530	33500	86100	43050	25830

huj

Table No.23

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	2000-60-2120
From 01.01.1996 to 31.12.2005	6500-200-6900
From 01.01.2006 to 31.12.2015	9300-34800 GP 4200
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-6 (35400-112400)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
			-	13770	35400	17700	10620
			13780	14200	36500	18250	10950
			14210	14630	37600	18800	11280
			14640	15060	38700	19350	11610
			15060	15520	39900	19950	11970
			15530	15990	41100	20550	12330
2000	6500	16290	16000	16450	42300	21150	12690
2060	6500	16290	16000	16450	42300	21150	12690
2120	6500	16290	16000	16450	42300	21150	12690
2180	6700	16670	16460	16960	43600	21800	13080
2240	6900	17040	16970	17470	44900	22450	13470
2300	6900	17040	16970	17470	44900	22450	13470
	7100	17410	16970	17470	44900	22450	13470
	7300	17780	17480	17970	46200	23100	13860
	7500	18150	17980	18520	47600	23800	14280
			18530	19060	49000	24500	14700
			19070	19640	50500	25250	15150
			19650	20230	52000	26000	15600
			20240	20850	53600	26800	16080
			20860	21470	55200	27600	16560
			21480	22140	56900	28450	17070
			22150	22800	58600	29300	17580
			22810	23500	60400	30200	18120
			23510	24200	62200	31100	18660
			24210	24940	64100	32050	19230
			24950	25680	66000	33000	19800
			25690	26450	68000	34000	20400
			26460	27230	70000	35000	21000
			27240	28050	72100	36050	21630
			28060	28910	74300	37150	22290
			28920	29760	76500	38250	22950
			29770	30660	78800	39400	23640
			30670	31590	81200	40600	24360
			31600	32520	83600	41800	25080
			32530	33500	86100	43050	25830
			33510	34510	88700	44350	26610

Table No.24

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	2000-60-2300-75-3200
From 01.01.1996 to 31.12.2005	6500-200-10500
From 01.01.2006 to 31.12.2015	9300-34800 GP 4200
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-6 (35400-112400)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
			13770	13770	35400	17700	10620
			13780	14700	36500	18250	10950
			14210	14630	37600	18800	11280
			14640	15050	38700	19350	11610
			15060	15520	39800	19900	11970
			15530	15990	41100	20530	12330
2000	6500	16290	16000	16450	42300	21150	12690
2060	6500	16290	16000	16450	42300	21150	12690
2120	6500	16290	16000	16450	42300	21150	12690
2180	6700	16670	16460	16960	43600	21800	13080
2240	6900	17040	16970	17470	44900	22450	13470
2300	7100	17410	16970	17470	44900	22450	13470
2375	7300	17780	17480	17970	46200	23100	13860
2450	7500	18150	17980	18570	47600	23800	14280
2525	7700	18530	18530	19060	49000	24500	14700
2600	7900	18900	18530	19060	49000	24500	14700
2675	8100	19270	19070	19640	50500	25250	15150
2750	8300	19640	19070	19640	50500	25250	15150
	8500	20010	19650	20230	52000	26000	15600
2825	8700	20390	20240	20850	53600	26800	16080
2900	8900	20760	20240	20850	53600	26800	16080
2975	9100	21130	20860	21470	55200	27600	16560
3050	9300	21500	21480	22140	56900	28450	17070
3125	9500	21870	21480	22140	56900	28450	17070
3200	9700	22250	22150	22800	58600	29300	17580
3275	9900	22620	22150	22800	58600	29300	17580
3350	10100	22990	22810	23500	60400	30200	18120
	10300	23360	22810	23500	60400	30200	18120
3425	10500	23730	23510	24200	62200	31100	18660
	10700	24110	23510	24200	62200	31100	18660
	10900	24480	24210	24940	64100	32050	19230
	11100	24850	24210	24940	64100	32050	19230
			24950	25680	66000	33000	19800
			25690	26450	68000	34000	20400
			26460	27230	70000	35000	21000
			27240	28050	72100	36050	21630
			28060	28910	74300	37150	22290
			28920	29760	76500	38250	22950
			29770	30660	78800	39400	23640
			30670	31590	81200	40600	24360
			31600	32570	83600	41800	25080
			32530	33500	86100	43050	25830

Table No.25

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	2000-60-2300-75-3100-100-3500
From 01.01.1996 to 31.12.2005	6500-200-10500
From 01.01.2006 to 31.12.2015	9300-34800 GP 4200
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-6 (35400-112400)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension (Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
				13770	35400	17700	10620
			13780	14200	36500	18250	10950
			14210	14630	37600	18800	11280
			14640	15050	38700	19350	11610
			15060	15520	39900	19950	11970
			15530	15990	41100	20550	12330
2000	6500	16290	16000	16450	42300	21150	12690
2060	6500	16290	16000	16450	42300	21150	12690
2120	6500	16290	16000	16450	42300	21150	12690
2180	6700	16670	16460	16960	43600	21800	13080
2240	6900	17040	16970	17470	44900	22450	13470
2300	7100	17410	16970	17470	44900	22450	13470
2375	7300	17780	17480	17970	46200	23100	13860
2450	7500	18150	17980	18520	47600	23800	14280
2525	7700	18530	18530	19060	49000	24500	14700
2600	7900	18900	18530	19060	49000	24500	14700
2675	8100	19270	19070	19640	50500	25250	15150
2750	8300	19640	19070	19640	50500	25250	15150
	8500	20010	19650	20230	52000	26000	15600
2825	8700	20390	20240	20850	53600	26800	16080
2900	8900	20760	20240	20850	53600	26800	16080
2975	9100	21130	20860	21470	55200	27600	16560
3050	9300	21500	21480	22140	56900	28450	17070
3125	9500	21870	21480	22140	56900	28450	17070
3200	9700	22250	22150	22800	58600	29300	17580
	9900	22620	22150	22800	58600	29300	17580
3300	10100	22990	22810	23500	60400	30200	18120
3400	10300	23360	22810	23500	60400	30200	18120
3500	10500	23730	23510	24200	62200	31100	18660
3600	10500	23730	23510	24200	62200	31100	18660
3700	10500	23730	23510	24200	62200	31100	18660
3800	10500	23730	23510	24200	62200	31100	18660
			24210	24940	64100	32050	19230
			24950	25680	66000	33000	19800
			25690	26450	68000	34000	20400
			26460	27230	70000	35000	21000
			27240	28050	72100	36050	21630
			28060	28910	74300	37150	22290
			28920	29760	76500	38250	22950
			29770	30640	78800	39400	23640
			30670	31590	81200	40600	24360
			31600	32520	83600	41800	25080

Table No.25

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	2375-75-3200-100-3500
From 01.01.1996 to 31.12.2005	7450-225-11500
From 01.01.2006 to 31.12.2015	9300-34800 GP 4600
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-7 (44900-142400)

Basic Pay from 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay from 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay from 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
				17470	44900	22450	13470
			17480	17970	46200	23100	13860
2375	7450	18460	17980	18520	47600	23800	14280
2450	7450	18460	17980	18520	47600	23800	14280
2525	7675	18880	18530	19060	49000	24500	14700
2600	7900	19300	19070	19640	50500	25250	15150
2675	8125	19720	19650	20230	52000	26000	15600
2750	8350	20140	19650	20230	52000	26000	15600
2825	8575	20550	20240	20850	53600	26800	16080
2900	8800	20970	20860	21470	55200	27600	16560
2975	9025	21390	20860	21470	55200	27600	16560
3050	9250	21810	21480	22140	56900	28450	17070
3125	9475	22230	22150	22800	58600	29300	17580
3200	9700	22650	22150	22800	58600	29300	17580
	9925	23070	22810	23500	60400	30200	18120
3300	10150	23480	22810	23500	60400	30200	18120
3400	10375	23900	23510	24200	62200	31100	18660
3500	10600	24320	24210	24940	64100	32050	19230
3600	10825	24740	24210	24940	64100	32050	19230
3700	11050	25160	24950	25680	66000	33000	19800
3800	11050	25160	24950	25680	66000	33000	19800
	11275	25580	24950	25680	66000	33000	19800
	11500	25990	25690	26450	68000	34000	20400
	11725	26410	25690	26450	68000	34000	20400
	11950	26830	26460	27230	70000	35000	21000
	12175	27250	27240	28050	72100	36050	21630
			28060	28910	74300	37150	22290
			28920	29760	76500	38250	22950
			29770	30640	78800	39400	23640
			30670	31590	81200	40600	24360
			31600	32520	83600	41800	25080
			32530	33500	86100	43050	25830
			33510	34510	88700	44350	26610
			34520	35560	91400	45700	27420
			35570	36610	94100	47050	28230
			36620	37700	96900	48450	29070
			37710	38830	99800	49900	29940
			38840	40000	102800	51400	30840
			40010	41200	105900	52950	31770
			41210	42450	109100	54550	32730
			42460	43720	112400	56200	33720

Table No.27

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	2375-75-3200-100-3500-175-3750
From 01.01.1996 to 31.12.2005	7450-225-11500
From 01.01.2006 to 31.12.2015	9300-34800 GP 4600
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-7 (44900-142400)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
			17480	17970	44900	22450	13470
2375	7450	18460	17980	18520	45200	23100	13860
2450	7450	18460	17980	18520	47600	23800	14280
2525	7675	18880	18530	19060	47600	23800	14280
2600	7900	19300	19070	19640	49000	24500	14700
2675	8125	19720	19650	20230	50500	25250	15150
2750	8350	20140	19650	20230	52000	26000	15600
2825	8575	20550	20240	20850	52000	26000	15600
2900	8800	20970	20860	21470	53600	26800	16080
2975	9025	21390	20860	21470	55200	27600	16560
3050	9250	21810	21480	22140	55200	27600	16560
3125	9475	22230	22150	22800	56900	28450	17070
3200	9700	22650	22150	22800	58600	29300	17580
	9925	23070	22810	23500	58600	29300	17580
3300	10150	23480	22810	23500	60400	30200	18120
3400	10375	23900	23510	24200	60400	30200	18120
3500	10600	24320	24210	24940	62200	31100	18660
3625	10825	24740	24210	24940	64100	32050	19230
3750	11050	25160	24950	25680	64100	32050	19230
3875	11275	25580	24950	25680	66000	33000	19800
4000	11500	25990	25690	26450	66000	33000	19800
4125	11500	25990	25690	26450	68000	34000	20400
	11725	26410	25690	26450	68000	34000	20400
	11950	26830	26460	27230	70000	35000	21000
	12175	27250	27240	28050	72100	36050	21630
			28060	28910	74300	37150	22290
			28920	29760	76400	38250	22950
			29770	30660	78800	39400	23640
			30670	31590	81200	40600	24360
			31600	32570	83600	41800	25080
			32530	33500	86100	43050	25830
			33510	34510	88700	44350	26610
			34520	35560	91400	45700	27420
			35570	36610	94100	47050	28230
			36620	37700	96900	48450	29070
			37710	38830	99800	49900	29940
			38840	40000	102800	51400	30840
			40010	41200	105900	52950	31770

62

Table No.28

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	
From 01.01.1996 to 31.12.2005	7500-250-12000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	9300-34800 GP 4800
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-8 (47600-151100)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
				18520	47600	23800	14280
	7500	18750	18530	19060	49000	24500	14700
	7750	19220	19070	19640	50500	25250	15150
	8000	19680	19650	20230	52000	26000	15600
	8250	20150	19560	20230	52000	26000	15600
	8500	20610	20240	20850	53600	26800	16080
	8750	21080	20860	21470	55200	27600	16560
	9000	21540	21480	22140	56900	28450	17070
	9250	22010	21480	22140	56900	28450	17070
	9500	22470	22150	22800	58600	29300	17580
	9750	22940	22810	23500	60400	30200	18120
	10000	23400	22810	23500	60400	30200	18120
	10250	23870	23510	24200	62700	31100	18660
	10500	24330	24210	24940	64100	32050	19230
	10750	24800	24210	24940	64100	32050	19230
	11000	25260	24950	25680	66000	33000	19800
	11250	25730	25690	26450	68000	34000	20400
	11500	26190	25690	26450	68000	34000	20400
	11750	26660	26460	27230	70000	35000	21000
	12000	27120	26460	27230	70000	35000	21000
	12250	27590	27240	28050	72100	36050	21630
	12500	28050	28060	28910	74300	37150	22290
	12750	28520	28060	28910	74300	37150	22290
			28920	29760	76500	38250	22950
			29770	30660	78800	39400	23640
			30670	31590	81200	40600	24360
			31600	32520	83600	41800	25080
			32530	33500	86100	43050	25830
			33510	34510	88700	44350	26610
			34520	35560	91400	45700	27420
			35570	36610	94100	47050	28230
			36620	37700	96900	48450	29070
			37710	38830	99800	49900	29940
			38840	40000	102800	51400	30840
			40010	41200	105900	52950	31770
			41210	42450	109100	54550	32730
			42460	43730	112400	56200	33720
			43740	45050	115800	57900	34740
			45060	46420	119300	59650	35790

Handwritten signature

Table No.29

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	2200-75-2800-100-4000
From 01.01.1996 to 31.12.2005	8000-775-13500
From 01.01.2006 to 31.12.2015	9300-34800 GP 5400
Corresponding level w.e.f 1.1.2016	Level-9 [53100-167800]

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f 1.1.2016	Revised family pension w.e.f 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
2200	8000	20280	-	20660	53100	26550	15930
2275	8000	20280	-	20660	53100	26550	15930
2350	8000	20280	-	20660	53100	26550	15930
2425	8275	20800	20670	21280	54700	27350	16410
2500	8275	20800	20670	21280	54700	27350	16410
2575	8275	20800	20670	21280	54700	27350	16410
2650	8550	21310	21290	21900	56300	28150	16890
2725	8550	21310	21290	21900	56300	28150	16890
2800	8550	21310	21290	21900	56300	28150	16890
2900	8825	21820	21910	22580	58000	29000	17400
3000	9100	22330	21910	22580	58000	29000	17400
3100	9375	22840	22570	23220	59700	29850	17910
3200	9650	23350	23230	23920	61500	30750	18450
	9925	23870	23930	24630	63300	31650	18990
3300	10200	24380	23930	24630	63300	31650	18990
3400	10475	24890	24640	25360	65200	32600	19560
3500	10750	25400	25370	26140	67200	33600	20160
3600	10750	25400	25370	26140	67200	33600	20160
3700	11025	25910	25370	26140	67200	33600	20160
3800	11025	25910	25370	26140	67200	33600	20160
3900	11300	26420	26150	26920	69200	34600	20760
4000	11300	26420	26150	26920	69200	34600	20760
4100	11575	26930	26930	27740	71300	35650	21390
4200	11850	27450	26930	27740	71300	35650	21390
4300	11850	27450	26930	27740	71300	35650	21390
	12125	27960	27750	28560	73400	36700	22020
	12400	28470	27750	28560	73400	36700	22020
	12675	28980	28570	29410	75600	37800	22680
	12950	29490	29420	30310	77900	38950	23370
	13225	30000	29420	30310	77900	38950	23370
	13500	30510	30320	31200	80200	40100	24060
	13775	31030	30320	31200	80200	40100	24060
	14050	31540	31210	32140	82600	41300	24780
	14325	32050	31210	32140	82600	41300	24780
			32150	33110	85100	42550	25530
			33120	34120	87700	43850	26310
			34130	35130	90300	45150	27090
			35140	36180	93000	46500	27900
			36190	37270	95800	47900	28740
			37280	38400	98700	49350	29610
			38410	39570	101700	50850	30510
			39580	40770	104800	52400	31440
			40780	41980	107900	53950	32370
			41990	43220	111100	55550	33330
			43230	44510	114400	57200	34320
			44520	45810	117800	58900	35340
			45840	47190	121300	60650	36360

Table No.30

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	2300-100-2800
From 01.01.1996 to 31.12.2005	8000-275-13500
From 01.01.2006 to 31.12.2015	9300-34800 GP 5400
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-9 (53100-167800)

Basic Pay from 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay from 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay from 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		National Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
2300	8000	20280		20660	53100	26550	15930
2400	8000	20280		20660	53100	26550	15930
2500	8000	20280		20660	53100	26550	15930
2600	8275	20800	20670	21280	54700	27350	16410
2700	8275	20800	20670	21280	54700	27350	16410
2800	8550	21310	21290	21900	56300	28150	16890
2900	8825	21820	21290	21900	56300	28150	16890
3000	9100	22330	21910	22560	58000	29000	17400
3100	9375	22840	22570	23220	59700	29850	17910
	9650	23350	23230	23920	61500	30750	18450
	9925	23870	23230	23920	61500	30750	18450
	10200	24380	23830	24690	63300	31850	18990
	10475	24890	24640	25360	65200	32600	19560
	10750	25400	25370	26140	67200	33600	20160
	11025	25910	25370	26140	67200	33600	20160
	11300	26420	26150	26920	69200	34600	20760
	11575	26930	26930	27740	71300	35650	21390
	11850	27450	26930	27740	71300	35650	21390
	12125	27960	27750	28560	73400	36700	22020
	12400	28470	27750	28560	73400	36700	22020
	12675	28980	28570	29410	75600	37800	22680
	12950	29490	29420	30310	77900	38950	23370
	13225	30000	29420	30310	77900	38950	23370
	13500	30510	30320	31200	80200	40100	24060
	13775	31020	30320	31200	80200	40100	24060
	14050	31540	31210	32140	82600	41300	24780
	14325	32050	31210	32140	82600	41300	24780
			32150	33110	85100	42550	25530
			33120	34120	87700	43850	26310
			34130	35130	90300	45150	27090
			35140	36180	93000	46500	27900
			36190	37270	95800	47900	28740
			37280	38400	98700	49350	29610
			38410	39570	101700	50850	30510
			39580	40770	104800	52400	31440
			40780	41980	107900	53950	32370
			41990	43210	111100	55550	33330
			43230	44510	114400	57200	34320
			44520	45830	117800	58900	35340
			45840	47190	121300	60650	36390
			47200	48590	124900	62450	37470
			48600	50030	128600	64300	38580

Table No.31

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	2200-75-2800-100-4000
From 01.01.1996 to 31.12.2005	8000-275-13500
From 01.01.2006 to 31.12.2015	15600-39100 GP 5400
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-10 (16100-177500)

Basic Pay from 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay from 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay from 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		National Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
2200	8000	21000		21820	56100	28050	16830
2275	8000	21000		21820	56100	28050	16830
2350	8000	21000		21820	56100	28050	16830
2425	8275	21000		21820	56100	28050	16830
2500	8275	21000		21820	56100	28050	16830
2575	8275	21000		21820	56100	28050	16830
2650	8550	21310		21820	56100	28050	16830
2725	8550	21310		21820	56100	28050	16830
2800	8550	21310		21820	56100	28050	16830
2875	8825	21820		21820	56100	28050	16830
2950	9100	22330	21830	22490	57800	28900	17340
3025	9375	22840	22500	23150	59500	30750	17850
3100	9650	23350	23160	23850	61300	30650	18360
	9925	23870	23860	24350	63100	31550	18930
3300	10200	24380	23860	24500	63100	31550	18930
3400	10475	24890	24560	25290	65000	32500	19500
3500	10750	25400	25300	26070	67000	33500	20100
3600	10750	25400	25300	26070	67000	33500	20100
3700	11025	25910	25300	26070	67000	33500	20100
3800	11025	25910	25300	26070	67000	33500	20100
3900	11300	26420	26080	26840	69000	34500	20700
4000	11300	26420	26080	26840	69000	34500	20700
4100	11575	26930	26850	27660	71100	35550	21330
4200	11850	27450	26850	27660	71100	35550	21330
4300	11850	27450	26850	27660	71100	35550	21330
	12125	27960	27670	28480	73200	36600	21960
	12400	28470	27670	28480	73200	36600	21960
	12675	28980	28490	29330	75400	37700	22620
	12950	29490	29340	30230	77700	38850	23310
	13225	30000	29340	30230	77700	38850	23310
	13500	30510	30240	31170	80000	40000	24000
	13775	31020	30240	31170	80000	40000	24000
	14050	31530	31180	32060	82400	41200	24720
	14325	32050	31180	32060	82400	41200	24720
			32070	33030	84900	42450	25470
			33040	34000	87400	43700	26270
			34010	35010	90000	45000	27000
			35020	36070	92700	46350	27810
			36080	37150	95500	47750	28650
			37160	38240	98400	49200	29520
			38290	39350	101400	50700	30420
			39460	40620	104600	52200	31370
			40830	41820	107900	53750	32250
			41830	43070	110700	55350	33210
			43080	44350	114000	57000	34200
			44360	45680	117400	58700	35210
			45680	47040	120900	60450	36270
			47050	48410	124500	62250	37350
			48450	49880	128200	64100	38460
			49890	51340	132000	66000	39600

Table No.32

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	2630
From 01.01.1996 to 31.12.2005	9000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	15600-39100 GP 5400
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-10 (56100-177500)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
			-	21820	56100	28050	16830
2630	9000	22140	21830	22490	57800	28900	17340
			22500	23150	59500	29750	17850
			23160	23850	61300	30650	18390
			23860	24550	63100	31550	18930
			24560	25290	65000	32500	19500
			25300	26070	67000	33500	20100
			26080	26840	69000	34500	20700
			26850	27660	71100	35550	21330
			27670	28480	73200	36600	21960
			28490	29330	75400	37700	22620
			29340	30230	77700	38850	23310
			30240	31120	80000	40000	24000
			31130	32060	82400	41200	24720
			32070	33030	84900	42450	25470
			33040	34000	87400	43700	26220
			34010	35010	90000	45000	27000
			35020	36070	92700	46350	27810
			36080	37150	95500	47750	28650
			37160	38280	98400	49200	29520
			38290	39450	101400	50700	30420
			39460	40620	104400	52200	31320
			40630	41820	107500	53750	32250
			41830	43070	110700	55350	33210
			43080	44350	114000	57000	34200
			44360	45680	117400	58700	35220
			45690	47040	120900	60450	36270
			47050	48440	124500	62250	37350
			48450	49880	128200	64100	38460
			49890	51360	132000	66000	39600
			51370	52910	136000	68000	40800
			52920	54510	140100	70050	42030
			54520	56140	144300	72150	43290

Table No.33

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	2630-75-2780
From 01.01.1996 to 31.12.2005	9000-275-9550
From 01.01.2006 to 31.12.2015	15600-39100 GP 5400
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-10 (56100-177500)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
2630	9000	22140	21830	21820	56100	28050	16830
2705	9000	22140	21830	22490	57800	28900	17340
2780	9000	22140	21830	22490	57800	28900	17340
2855	9275	22660	22500	23150	59500	29750	17850
2930	9275	22660	22500	23150	59500	29750	17850
3005	9275	22660	22500	23150	59500	29750	17850
	9550	23170	23160	23850	61300	30650	18390
	9825	23680	23160	23850	61300	30650	18390
	10100	24190	23860	24550	63100	31550	18930
	10375	24700	24560	25290	65000	32500	19500
			25300	26070	67000	33500	20100
			26080	26840	69000	34500	20700
			26850	27660	71100	35550	21330
			27670	28480	73200	36600	21960
			28490	29330	75400	37700	22620
			29340	30230	77700	38850	23310
			30240	31120	80000	40000	24000
			31130	32060	82400	41200	24720
			32070	33030	84900	42450	25470
			33040	34000	87400	43700	26220
			34010	35010	90000	45000	27000
			35020	36070	92700	46350	27810
			36080	37150	95500	47750	28650
			37160	38280	98400	49200	29520
			38290	39450	101400	50700	30420
			39460	40620	104400	52200	31320
			40630	41820	107500	53750	32250
			41830	43070	110700	55350	33210
			43080	44350	114000	57000	34200
			44360	45680	117400	58700	35220
			45690	47040	120900	60450	36270
			47050	48440	124500	62250	37350
			48450	49880	128200	64100	38460
			49890	51360	132000	66000	39600
			51370	52910	136000	68000	40800
			52920	54510	140100	70050	42030

Table No.34

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	3150-100-3350
From 01.01.1996 to 31.12.2005	10325-325-10975
From 01.01.2006 to 31.12.2015	15600-39100 GP 6600
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-11 (67700-208700)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
3150	10325	25810	-	26340	67700	33850	20310
3250	10325	25810	-	26340	67700	33850	20310
3350	10325	25810	-	26340	67700	33850	20310
3450	10650	26410	26350	27120	69700	34850	20910
3550	10650	26410	26350	27120	69700	34850	20910
3650	10975	27020	26350	27120	69700	34850	20910
	11300	27620	27130	27930	71800	35900	21540
	11625	28230	27940	28790	74000	37000	22200
	11950	28830	28800	29640	76200	38100	22860
			29650	30540	78500	39250	23550
			30550	31470	80900	40450	24270
			31480	32410	83300	41650	24990
			32420	33380	85800	42900	25740
			33390	34390	88400	44200	26520
			34400	35440	91100	45550	27330
			35450	36490	93800	46900	28140
			36500	37580	96600	48300	28980
			37590	38710	99500	49750	29850
			38720	39880	102500	51250	30750
			39890	41080	105600	52800	31680
			41090	42330	108800	54400	32640
			42340	43610	112100	56050	33630
			43620	44940	115500	57750	34650
			44950	46300	119000	59500	35700
			46310	47700	122600	61300	36780
			47710	49140	126300	63150	37890
			49150	50620	130100	65050	39030
			50630	52140	134000	67000	40200
			52150	53690	138000	69000	41400
			53700	55290	142100	71050	42630
			55300	56960	146400	73200	43920
			56970	58670	150800	75400	45240

Table No.35

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	3000-125-3625
From 01.01.1996 to 31.12.2005	10000-325-15200
From 01.01.2006 to 31.12.2015	15600-39100 GP 6600
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-11 (67700-208700)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
3000	10000	25200	-	26340	67700	33850	20310
3125	10000	25200	-	26340	67700	33850	20310
3250	10000	25200	-	26340	67700	33850	20310
3375	10375	25810	-	26340	67700	33850	20310
3500	10650	26410	26350	27120	69700	34850	20910
3625	10975	27020	26350	27120	69700	34850	20910
3750	10975	27020	26350	27120	69700	34850	20910
3875	11300	27620	27130	27930	71800	35900	21540
4000	11300	27620	27130	27930	71800	35900	21540
	11625	28230	27940	28790	74000	37000	22200
	11950	28830	28800	29640	76200	38100	22860
	12275	29440	28800	29640	76200	38100	22860
	12600	30040	29650	30540	78500	39250	23550
	12925	30650	30550	31470	80900	40450	24270
	13250	31250	30550	31470	80900	40450	24270
	13575	31850	31480	32410	83300	41650	24990
	13900	32460	32470	33380	85800	42900	25740
	14225	33060	32470	33380	85800	42900	25740
	14550	33670	33290	34390	88400	44200	26520
	14875	34270	33390	34390	88400	44200	26520
	15200	34880	34400	35440	91100	45550	27330
	15525	35480	35450	36490	93800	46900	28140
	15850	36090	35450	36490	93800	46900	28140
	16175	36690	36500	37580	96600	48300	28980
			37590	38710	99500	49750	29850
			38720	39880	102500	51250	30750
			39890	41080	105600	52800	31680
			41090	42330	108800	54400	32640
			42340	43610	112100	56050	33630
			43620	44940	115500	57750	34650
			44950	46300	119000	59500	35700
			46310	47700	122600	61300	36780
			47710	49140	126300	63150	37890
			49150	50620	130100	65050	39030
			50630	52140	134000	67000	40200
			52150	53690	138000	69000	41400
			53700	55290	142100	71050	42630
			55290	56960	146400	73200	43920

Table No.36

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	3000-100-3500-125-4500
From 01.01.1996 to 31.12.2005	10000-325-15200
From 01.01.2006 to 31.12.2015	15600-39100 GP 6600
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-11 (67700-208700)

Basic Pay from 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay from 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay from 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
3000	10000	25200	-	26340	67700	33850	20310
3100	10000	25200	-	26340	67700	33850	20310
3200	10000	25200	-	26340	67700	33850	20310
3300	10325	25810	-	26340	67700	33850	20310
3400	10325	25810	-	26340	67700	33850	20310
3500	10650	26410	26350	27120	69700	34850	20910
3625	10975	27020	26350	27120	69700	34850	20910
3750	10975	27020	26350	27120	69700	34850	20910
3875	11300	27620	27130	27930	71800	35900	21540
4000	11300	27620	27130	27930	71800	35900	21540
4125	11625	28230	27940	28790	74000	37000	22200
4250	11950	28830	28800	29640	76200	38100	22860
4375	11950	28830	28800	29640	76200	38100	22860
4500	12275	29440	28800	29640	76200	38100	22860
4625	12275	29440	28800	29640	76200	38100	22860
4750	12600	30040	29650	30540	78500	39250	23550
4875	12925	30650	30550	31470	80900	40450	24270
	13250	31250	30550	31470	80900	40450	24270
	13575	31850	31480	32410	83300	41650	24990
	13900	32460	32420	33380	85800	42900	25740
	14225	33060	32420	33380	85800	42900	25740
	14550	33670	33390	34390	88400	44200	26520
	14875	34270	33390	34390	88400	44200	26520
	15200	34880	34400	35440	91100	45550	27330
	15525	35480	35450	36490	93800	46900	28140
	15850	36090	35450	36490	93800	46900	28140
	16175	36690	36500	37580	96600	48300	28980
			37590	38710	99500	49750	29850
			38720	39880	102500	51250	30750
			39890	41080	105600	52800	31680
			41090	42330	108800	54400	32640
			42340	43610	112100	56050	33630
			43670	44940	115500	57750	34650
			44950	46300	119000	59500	35700
			46310	47700	122600	61300	36780
			47710	49140	126300	63150	37890
			49150	50620	130100	65050	39030
			50630	52140	134000	67000	40200
			52150	53690	138000	69000	41400
			53700	55290	142100	71050	42630
			55300	56950	146400	73200	43920
			56970	58670	150800	75400	45240

Table No.37

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement.

From 01.01.1986 to 31.12.1995	3000-100-3500-125-5000
From 01.01.1996 to 31.12.2005	10000-325-15200
From 01.01.2006 to 31.12.2015	15600-39100 GP 6600
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-11 (67700-208700)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
3000	10000	25200	-	26340	67700	33850	20310
3100	10000	25200	-	26340	67700	33850	20310
3200	10000	25200	-	26340	67700	33850	20310
3300	10325	25810	-	26340	67700	33850	20310
3400	10375	25810	-	26340	67700	33850	20310
3500	10650	26410	26350	27120	69700	34850	20910
3625	10975	27020	26350	27120	69700	34850	20910
3750	10975	27020	26350	27120	69700	34850	20910
3875	11300	27620	27130	27930	71800	35900	21540
4000	11300	27620	27130	27930	71800	35900	21540
4125	11625	28230	27940	28790	74000	37000	22200
4250	11950	28830	28800	29640	76200	38100	22860
4375	11950	28830	28800	29640	76200	38100	22860
4500	12275	29440	28800	29640	76200	38100	22860
4625	12275	29440	28800	29640	76200	38100	22860
4750	12600	30040	29650	30540	78500	39250	23550
4875	12925	30650	30550	31470	80900	40450	24270
5000	13250	31250	30550	31470	80900	40450	24270
5125	13575	31850	31480	32410	83300	41650	24990
5250	13900	32460	32420	33380	85800	42900	25740
5375	14225	33060	32420	33380	85800	42900	25740
	14550	33670	33390	34390	88400	44200	26520
	14875	34270	33390	34390	88400	44200	26520
	15200	34880	34400	35440	91100	45550	27330
	15525	35480	35450	36490	93800	46900	28140
	15850	36090	35450	36490	93800	46900	28140
	16175	36690	36500	37580	96600	48300	28980
			37590	38710	99500	49750	29850
			38720	39880	102500	51250	30750
			39890	41090	105600	52800	31680
			41090	42330	108800	54400	32640
			42340	43610	112100	56050	33630
			43620	44940	115500	57750	34650
			44950	46300	119000	59500	35700
			46310	47700	122600	61300	36780
			47710	49140	126300	63150	37890
			49150	50620	130100	65050	39030
			50630	52140	134000	67000	40200
			52150	53690	138000	69000	41400
			53700	55290	142100	71050	42630
			55300	56960	146400	73200	43920

Table No.38

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	3200-100-3700-125-4700
From 01.01.1996 to 31.12.2005	10650-325-15850
From 01.01.2006 to 31.12.2015	15600-39100 GP 6600
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-11 (67700-208700)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
			-	26340	67700	23850	20310
				26350	69700	34850	20910
3200	10650	26410	26350	27120	69700	34850	20910
3300	10650	26410	26350	27120	69700	34850	20910
3400	10650	26410	26350	27120	69700	34850	20910
3500	10975	27020	26350	27120	69700	34850	20910
3600	10975	27020	26350	27120	69700	34850	20910
3700	10975	27020	26350	27120	69700	34850	20910
3825	11300	27620	27130	27930	71800	35900	21540
3950	11300	27620	27130	27930	71800	35900	21540
4075	11625	28230	27940	28790	74000	37000	22200
4200	11625	28230	27940	28790	74000	37000	22200
4325	11950	28830	28800	29640	76200	38100	22860
4450	12275	29440	28800	29640	76200	38100	22860
4575	12275	29440	28800	29640	76200	38100	22860
4700	12600	30040	29650	30540	78500	39250	23550
4825	12925	30650	30550	31470	80900	40450	24270
4950	13250	31250	30550	31470	80900	40450	24270
5075	13575	31850	31480	32410	83300	41650	24990
	13900	32460	32420	33380	85800	42900	25740
	14225	33060	32420	33380	85800	42900	25740
	14550	33670	33390	34390	88400	44200	26520
	14875	34270	33390	34390	88400	44200	26520
	15200	34880	34400	35440	91100	45550	27330
	15525	35480	35450	36490	93800	46900	28140
	15850	36090	35450	36490	93800	46900	28140
	16175	36690	36500	37580	96600	48300	28980
	16500	37290	36500	37580	96600	48300	28980
	16825	37900	37590	38710	99500	49750	29850
			38720	39880	102500	51250	30750
			39890	41080	105600	52800	31680
			41090	42330	108800	54400	32640
			42340	43630	112100	56050	33630
			43620	44940	115500	57750	34650
			44950	46300	119000	59500	35700
			46310	47700	122600	61300	36780
			47710	49140	126300	63150	37890
			49150	50620	130100	65050	39030
			50630	52140	134000	67000	40200
			52150	53690	138000	69000	41400
			53700	55290	142100	71050	42630
			55300	56960	146400	73200	43920

Table No.39

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	3700-150-4450
From 01.01.1996 to 31.12.2005	12000-375-16500
From 01.01.2006 to 31.12.2015	15600-39100 GP 7600
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-12 (78800-209200)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
3700	12000	29920	-	30660	78800	39400	23640
3850	12000	29920	-	30660	78800	39400	23640
4000	12000	29920	-	30660	78800	39400	23640
4150	12375	30620	-	30660	78800	39400	23640
4300	12375	30620	-	30660	78800	39400	23640
4450	12375	30620	-	30660	78800	39400	23640
4600	12750	31320	30670	31590	81200	40600	24360
4750	12750	31320	30670	31590	81200	40600	24360
4900	13125	32020	31600	32520	83600	41800	25080
	13500	32710	32530	33500	86100	43050	25830
	13875	33410	32530	33500	86100	43050	25830
	14250	34110	33510	34510	88700	44350	26610
	14625	34810	34520	35560	91400	45700	27420
	15000	35500	34520	35560	91400	45700	27420
	15375	36200	35570	36610	94100	47050	28230
	15750	36900	36620	37700	96900	48450	29070
	16125	37600	36620	37700	96900	48450	29070
	16500	38290	37710	38830	99800	49900	29940
	16875	38990	38840	40000	102800	51400	30840
	17250	39690	38840	40000	102800	51400	30840
	17625	40390	40010	41200	105900	52950	31770
			41210	42450	109100	54550	32730
			42460	43730	112400	56200	33720
			43740	45050	115800	57900	34740
			45060	46420	119300	59650	35790
			46430	47820	122900	61450	36870
			47830	49260	126600	63300	37980
			49270	50730	130400	65200	39120
			50740	52250	134300	67150	40290
			52260	53810	138300	69150	41490
			53820	55400	142400	71200	42720
			55410	57080	146700	73350	44010
			57090	58790	151100	75550	45330
			58800	60540	155600	77800	46680
			60550	62370	160300	80150	48090

Ranjit

Table No.40

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	3700-125-4700-150-5000
From 01.01.1996 to 31.12.2005	12000-375-16500
From 01.01.2006 to 31.12.2015	15600-39100 GP 7600
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-12 (78800-209200)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
3700	12000	29920	-	30660	78800	39400	23640
3825	12000	29920	-	30660	78800	39400	23640
3950	12000	29920	-	30660	78800	39400	23640
4075	12375	30620	-	30660	78800	39400	23640
4200	12375	30620	-	30660	78800	39400	23640
4325	12375	30620	-	30660	78800	39400	23640
4450	12750	31320	30670	31590	81200	40600	24360
4575	12750	31320	30670	31590	81200	40600	24360
4700	12750	31320	30670	31590	81200	40600	24360
4850	13125	32020	31600	32520	83600	41800	25080
5000	13500	32710	32530	33500	86100	43050	25830
5150	13875	33410	32530	33500	86100	43050	25830
5300	14250	34110	33510	34510	88700	44350	26610
5450	14625	34810	34520	35560	91400	45700	27420
	15000	35500	34520	35560	91400	45700	27420
	15375	36200	35570	36610	94100	47050	28230
	15750	36900	36620	37700	96900	48450	29070
	16125	37600	36620	37700	96900	48450	29070
	16500	38290	37710	38830	99800	49900	29940
	16875	38990	38840	40000	102800	51400	30840
	17250	39690	38840	40000	102800	51400	30840
	17625	40390	40010	41200	105900	52950	31770
			41210	42450	109100	54550	32730
			42460	43730	112400	56200	33720
			43740	45050	116800	57900	34740
			45060	46420	119300	59650	35790
			46430	47820	122900	61450	36870
			47830	49260	126600	63300	37980
			49270	50730	130400	65200	39120
			50740	52250	134300	67150	40290
			52260	53810	138300	69150	41490
			53820	55400	142400	71200	42720
			55410	57080	146700	73350	44010
			57090	58790	151100	75550	45330
			58800	60540	155600	77800	46680

Table No.41

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	3950-125-4700-150-5000
From 01.01.1996 to 31.12.2005	12750-375-16500
From 01.01.2006 to 31.12.2015	15600-39100 GP 7600
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-12 (78800-209200)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (If applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
3950	12750	31320	30670	31590	78800	39400	23640
4075	12750	31320	30670	31590	81200	40600	24360
4200	12750	31320	30670	31590	81200	40600	24360
4325	13125	32020	31600	32520	83600	41800	25080
4450	13125	32020	31600	32520	83600	41800	25080
4575	13125	32020	31600	32520	83600	41800	25080
4700	13500	32710	32530	33500	86100	43050	25830
4850	13500	32710	32530	33500	86100	43050	25830
5000	13500	32710	32530	33500	86100	43050	25830
5150	13875	33410	32530	33500	86100	43050	25830
5300	14250	34110	33510	34510	88700	44350	26610
5450	14625	34810	34520	35560	91400	45700	27420
	15000	35500	34520	35560	91400	45700	27420
	15375	36200	35570	36610	94100	47050	28230
	15750	36900	36620	37700	96900	48450	29070
	16125	37600	36620	37700	96900	48450	29070
	16500	38290	37710	38830	99800	49900	29940
	16875	38990	38840	40000	102800	51400	30840
	17250	39690	38840	40000	102800	51400	30840
	17625	40390	40010	41200	105900	52950	31770
			41210	42450	109100	54550	32730
			42460	43730	112400	56200	33720
			43740	45050	115800	57900	34740
			45060	46420	119300	59650	35790
			46430	47820	122900	61450	36870
			47830	49260	126600	63300	37980
			49270	50730	130400	65200	39120
			50740	52250	134300	67150	40290
			52260	53810	138300	69150	41490
			53820	55400	142400	71200	42720
			55410	57080	146700	73350	44010
			57090	58790	151100	75550	45330
			58800	60540	155600	77800	46680

Table No.42

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	3700-125-4950-150-5700
From 01.01.1996 to 31.12.2005	12000-375-18000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	15600-39100 GP 7600
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-17 (78800-209200)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
3700	12000	29920	-	30660	78800	39400	23640
3825	12000	29920	-	30660	78800	39400	23640
3950	12000	29920	-	30660	78800	39400	23640
4075	12375	30620	-	30660	78800	39400	23640
4200	12375	30620	-	30660	78800	39400	23640
4325	12375	30620	-	30660	78800	39400	23640
4450	12750	31320	30670	31590	81200	40600	24360
4575	12750	31320	30670	31590	81200	40600	24360
4700	12750	31320	30670	31590	81200	40600	24360
4825	13125	32020	31600	32520	83600	41800	25080
4950	13125	32020	31600	32520	83600	41800	25080
5100	13500	32710	32530	33500	86100	43050	25830
5250	13875	33410	32530	33500	86100	43050	25830
5400	14250	34110	33510	34510	88700	44350	26610
5550	14625	34810	34520	35560	91400	45700	27420
5700	15000	35500	34520	35560	91400	45700	27420
5850	15375	36200	35570	36610	94100	47050	28230
	15750	36900	36620	37700	96900	48450	29070
6000	16125	37600	36620	37700	96900	48450	29070
6150	16125	37600	36620	37700	96900	48450	29070
	16500	38290	37710	38830	99800	49900	29940
	16875	38990	38840	40000	102800	51400	30840
	17250	39690	38840	40000	102800	51400	30840
	17625	40390	40010	41200	105900	52950	31770
	18000	41080	40010	41200	105900	52950	31770
	18375	41780	41210	42450	109100	54550	32730
	18750	42480	42460	43730	112400	56200	33720
	19125	43180	42460	43730	112400	56200	33720
			43740	45050	115800	57900	34740
			45060	46420	119300	59650	35790
			46430	47820	122900	61450	36870
			47830	49260	126600	63300	37980
			49270	50730	130400	65200	39120
			50740	52250	134300	67150	40290
			52260	53810	138300	69150	41490
			53820	55400	142400	71200	42720
			55410	57080	146700	73350	44010
			57090	58790	151100	75550	45330

57

Revised vide
38/37/2016 - P
dated 18.07.

Table No.43

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	4100-125-4850-150-5300
From 01.01.1996 to 31.12.2005	14300-400-18300
From 01.01.2006 to 31.12.2015	37400-67000 GP 8700
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-13 (123100-215900)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (If applicable) w.e.f. 1.1.2016	R F p 1.
			Minimum	Maximum			
4100	14300	46100	-	47890	123100	61550	
4225	14300	46100	-	47890	123100	61550	
4350	14300	46100	-	47890	123100	61550	
4475	14700	46100	-	47890	123100	61550	
4600	14700	46100	-	47890	123100	61550	
4725	14700	46100	-	47890	123100	61550	
4850	15100	47230	-	47890	123100	61550	
5000	15100	47230	-	47890	123100	61550	
5150	15100	47230	-	47890	123100	61550	
5300	15500	47230	-	47890	123100	61550	
5450	15500	47230	-	47890	123100	61550	
5600	15500	47230	-	47890	123100	61550	
5750	15900	48390	47900	49330	126800	63400	
	16300	48390	47900	49330	126800	63400	
	16700	49590	49340	50810	130600	65300	
	17100	49590	49340	50810	130600	65300	
	17500	50820	50820	52330	134500	67250	
	17900	50820	50820	52330	134500	67250	
	18300	52090	50820	52330	134500	67250	
	18700	52090	50820	52330	134500	67250	
	19100	53400	52340	53890	138500	69250	
	19500	53400	52340	53890	138500	69250	
			53900	55520	142700	71350	
			55530	57190	147000	73500	
			57200	58910	151400	75700	
			58920	60660	155900	77950	
			60670	62490	160600	80300	

68

Revised vide C
38/37/2016 - P.F.
dated 18-07-2

Table No.44

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	4500-150-5700
From 01.01.1996 to 31.12.2005	14300-400-18300
From 01.01.2006 to 31.12.2015	37400-67000 GP 8700
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-13 (123100-215900)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.201 6	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum		
4500	14300	46100	-	47890	123100	61550
4650	14300	46100	-	47890	123100	61550
4800	14300	46100	-	47890	123100	61550
4950	14700	46100	-	47890	123100	61550
5100	14700	46100	-	47890	123100	61550
5250	14700	46100	-	47890	123100	61550
5400	15100	47230	-	47890	123100	61550
5550	15100	47230	-	47890	123100	61550
5700	15100	47230	-	47890	123100	61550
5850	15500	47230	-	47890	123100	61550
6000	15900	48390	47900	49330	126800	63400
6150	16300	48390	47900	49330	126800	63400
	16700	49590	49340	50810	130600	65300
	17100	49590	49340	50810	130600	65300
	17500	50820	50820	52330	134500	67250
	17900	50820	50820	52330	134500	67250
	18300	52090	50820	52330	134500	67250
	18700	52090	50820	52330	134500	67250
	19100	53400	52340	53890	138500	69250
	19500	53400	52340	53890	138500	69250
			53900	55520	142700	71350
			55530	57190	147000	73500
			57200	58910	151400	75700
			58920	60660	155900	77950
			60670	62490	160600	80300

Table No.45

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	4800-150-5700
From 01.01.1996 to 31.12.2005	15100-400-18300
From 01.01.2006 to 31.12.2015	37400-67000 GP 8700
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level 13 (123100-215900)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e. 1.1.2016
			Minimum	Maximum		
4800	15100	48390	47900	47890	123100	61550
4950	15100	48390	47900	49330	126800	63400
5100	15100	48390	47900	49330	126800	63400
5250	15500	48390	47900	49330	126800	63400
5400	15500	48390	47900	49330	126800	63400
5550	15500	48390	47900	49330	126800	63400
5700	15900	49590	49340	50810	130600	65300
5850	15900	49590	49340	50810	130600	65300
6000	15900	49590	49340	50810	130600	65300
6150	16300	49590	49340	50810	130600	65300
	16700	50820	50820	52330	134500	67250
	17100	50820	50820	52330	134500	67250
	17500	52090	50820	52330	134500	67250
	17900	52090	50820	52330	134500	67250
	18300	53400	52340	53890	138500	69250
	18700	53400	52340	53890	138500	69250
	19100	54750	53900	55520	142700	71350
	19500	54750	53900	55520	142700	71350
			55530	57190	147000	73500
			57200	58910	151400	75700
			58920	60660	155900	77950
			60670	62490	160600	80300
			62500	64350	165400	82700

Table No.46

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	5100-150-5700
From 01.01.1996 to 31.12.2005	16400-450-20000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	37400-67000 GP 8900
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-13A (131100-216600)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e. 1.1.2016
			Minimum	Maximum		
5100	16400	48590	-	51010	131100	65550
5250	16400	48590	-	51010	131100	65550
5400	16400	48590	-	51010	131100	65550
5550	16850	49790	-	51010	131100	65550
5700	16850	49790	-	51010	131100	65550
5850	16850	49790	-	51010	131100	65550
6000	17300	49790	-	51010	131100	65550
6150	17300	49790	-	51010	131100	65550
	17750	51020	51020	52520	135000	67500
	18200	51020	51020	52520	135000	67500
	18650	52290	51020	52520	135000	67500
	19100	52290	51020	52520	135000	67500
	19550	53600	52530	54120	139100	69550
	20000	53600	52530	54120	139100	69550
	20450	54950	54130	55750	143300	71650
	20900	54950	54130	55750	143300	71650
	21350	56340	55760	57430	147600	73800
			55760	57430	147600	73800
			57440	59140	152000	76000
			59150	60930	156600	78300
			60940	62760	161300	80650
			62770	64630	166100	83050
			64640	66570	171100	85550
			66580	68560	176200	88100

Table No.47

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	5100-150-6150
From 01.01.1996 to 31.12.2005	16400-450-20000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	37400-67000 GP 8900
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-13A (131100-216600)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
5100	16400	48590	-	51010	131100	65550	39330
5250	16400	48590	-	51010	131100	65550	39330
5400	16400	48590	-	51010	131100	65550	39330
5550	16850	49790	-	51010	131100	65550	39330
5700	16850	49790	-	51010	131100	65550	39330
5850	16850	49790	-	51010	131100	65550	39330
6000	17300	49790	-	51010	131100	65550	39330
6150	17300	49790	-	51010	131100	65550	39330
6300	17300	49790	-	51010	131100	65550	39330
6450	17750	51020	51020	52520	135000	67500	40500
6600	17750	51020	51020	52520	135000	67500	40500
	18200	51020	51020	52520	135000	67500	40500
	18650	52290	51020	52520	135000	67500	40500
	19100	52290	51020	52520	135000	67500	40500
	19550	53600	52530	54120	139100	69550	41730
	20000	53600	52530	54120	139100	69550	41730
	20450	54950	54130	55750	143300	71650	42990
	20900	54950	54130	55750	143300	71650	42990
	21350	56340	55760	57430	147600	73800	44280
			55760	57430	147600	73800	44280
			57440	59140	152000	76000	45600
			59150	60930	156600	78300	46980
			60940	62760	161300	80650	48390
			62770	64630	166100	83050	49830
			64640	66570	171100	85550	51330

82

Table No.48

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	5100-150-5700-200-6300
From 01.01.1996 to 31.12.2005	16400-450-20000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	37400-67000 GP 8900
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-13A (131100-216600)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	R F P 1
			Minimum	Maximum			
5100	16400	48590	-	51010	131100	65550	
5250	16400	48590	-	51010	131100	65550	
5400	16400	48590	-	51010	131100	65550	
5550	16850	49790	-	51010	131100	65550	
5700	16850	49790	-	51010	131100	65550	
5900	16850	49790	-	51010	131100	65550	
6100	17300	49790	-	51010	131100	65550	
6300	17300	49790	-	51010	131100	65550	
6500	17300	49790	-	51010	131100	65550	
6700	17750	51020	51020	52520	135000	67500	
6900	17750	51020	51020	52520	135000	67500	
	18200	51020	51020	52520	135000	67500	
	18650	52290	51020	52520	135000	67500	
	19100	52290	51020	52520	135000	67500	
	19550	53600	52530	54120	139100	69550	
	20000	53600	52530	54120	139100	69550	
	20450	54950	54130	55750	143300	71650	
	20900	54950	54130	55750	143300	71650	
	21350	56340	55760	57430	147600	73800	
			55760	57430	147600	73800	
			57440	59140	152000	76000	
			59150	60930	156600	78300	
			60940	62760	161300	80650	
			62770	64630	166100	83050	
			64640	66570	171100	85550	

Table No.49

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	5100-150-6300-200-6700
From 01.01.1996 to 31.12.2005	16400-450-20900
From 01.01.2006 to 31.12.2015	37400-67000 GP 8900
Corresponding level w.e.f 1.1.2016	Level-13A (131100-216600)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	R F P 1
			Minimum	Maximum			
5100	16400	48590	-	51010	131100	65550	
5250	16400	48590	-	51010	131100	65550	
5400	16400	48590	-	51010	131100	65550	
5550	16850	49790	-	51010	131100	65550	
5700	16850	49790	-	51010	131100	65550	
5850	16850	49790	-	51010	131100	65550	
6000	17300	49790	-	51010	131100	65550	
6150	17300	49790	-	51010	131100	65550	
6300	17300	49790	-	51010	131100	65550	
6500	17750	51020	51020	52520	135000	67500	
6700	17750	51020	51020	52520	135000	67500	
6900	17750	51020	51020	52520	135000	67500	
7100	18200	51020	51020	52520	135000	67500	
7300	18200	51020	51020	52520	135000	67500	
	18650	52290	51020	52520	135000	67500	
	19100	52290	51020	52520	135000	67500	
	19550	53600	52530	54120	139100	69550	
	20000	53600	52530	54120	139100	69550	
	20450	54950	54130	55750	143300	71650	
	20900	54950	54130	55750	143300	71650	
	21350	56340	55760	57430	147600	73800	
	21800	56340	55760	57430	147600	73800	
	22250	57770	57440	59140	152000	76000	
			59150	60930	156600	78300	
			60940	62760	161300	80650	
			62770	64630	166100	83050	
			64640	66570	171100	85550	
			66580	68560	176200	88100	

Table No.50

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	4500-150-5700-200-7300
From 01.01.1996 to 31.12.2005	14300-450-22400
From 01.01.2006 to 31.12.2015	37400-67000 GP 10000
Corresponding level w.e.f 1.1.2016	Level-14 (144200-218200)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016	Revised Family pension w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum			
4500	14300	47400	-	56100	144200	72100	43260
4650	14300	47400	-	56100	144200	72100	43260
4800	14300	47400	-	56100	144200	72100	43260
4950	14750	47400	-	56100	144200	72100	43260
5100	14750	47400	-	56100	144200	72100	43260
5250	14750	47400	-	56100	144200	72100	43260
5400	15200	48530	-	56100	144200	72100	43260
5550	15200	48530	-	56100	144200	72100	43260
5700	15200	48530	-	56100	144200	72100	43260
5900	15650	48530	-	56100	144200	72100	43260
6100	16100	49690	-	56100	144200	72100	43260
6300	16550	49690	-	56100	144200	72100	43260
6500	16550	49690	-	56100	144200	72100	43260
6700	17000	50890	-	56100	144200	72100	43260
6900	17450	50890	-	56100	144200	72100	43260
7100	17900	52120	-	56100	144200	72100	43260
7300	18350	52120	-	56100	144200	72100	43260
	18800	53390	-	56100	144200	72100	43260
	19250	53390	-	56100	144200	72100	43260
	19700	54700	-	56100	144200	72100	43260
	20150	54700	-	56100	144200	72100	43260
	20600	56050	-	56100	144200	72100	43260
	21050	56050	-	56100	144200	72100	43260
	21500	57440	56110	57780	148500	74250	44550
	21950	57440	56110	57780	148500	74250	44550
	22400	58870	57790	59530	153000	76500	45900
	22850	58870	57790	59530	153000	76500	45900
	23300	60340	59540	61320	157600	78800	47280
	23750	60340	59540	61320	157600	78800	47280
			61330	63150	162300	81150	48690

Table No.51

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	5900-200-6700
From 01.01.1996 to 31.12.2005	18400-500-22400
From 01.01.2006 to 31.12.2015	37400-67000 GP 10000
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-14 (144200-218200)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e. 1.1.2016
			Minimum	Maximum		
5900	18400	54700	-	56100	144200	72100
6100	18400	54700	-	56100	144200	72100
6300	18400	54700	-	56100	144200	72100
6500	18900	56050	56110	57780	148500	74250
6700	18900	56050	56110	57780	148500	74250
6900	18900	56050	56110	57780	148500	74250
7100	19400	56050	56110	57780	148500	74250
7300	19400	56050	56110	57780	148500	74250
	19900	57440	56110	57780	148500	74250
	20400	57440	56110	57780	148500	74250
	20900	58870	57790	59530	153000	76500
	21400	58870	57790	59530	153000	76500
	21900	60340	59540	61320	157600	78800
	22400	61850	61330	63150	162300	81150
	22900	63410	63160	65050	167200	83600
	23400	65020	63160	65050	167200	83600
	23900	66680	65060	67000	172200	86100
			67010	69020	177400	88700
			69030	71080	182700	91350
			71090	73220	188200	94100
			73230	75400	193800	96900
			75410	77000	199600	99800

Table No.52

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	5900-200-7300
From 01.01.1996 to 31.12.2005	18400-500-22400
From 01.01.2006 to 31.12.2015	37400-67000 GP 10000
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-14 (144200-218200)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f. 1.1.2016
			Minimum	Maximum		
5900	18400	54700	-	56100	144200	72100
6100	18400	54700	-	56100	144200	72100
6300	18400	54700	-	56100	144200	72100
6500	18900	56050	56110	57780	148500	74250
6700	18900	56050	56110	57780	148500	74250
6900	18900	56050	56110	57780	148500	74250
7100	19400	56050	56110	57780	148500	74250
7300	19400	56050	56110	57780	148500	74250
	19900	57440	56110	57780	148500	74250
	20400	57440	56110	57780	148500	74250
	20900	58870	57790	59530	153000	76500
	21400	58870	57790	59530	153000	76500
	21900	60340	59540	61320	157600	78800
	22400	61850	61330	63150	162300	81150
	22900	63410	63160	65050	167200	83600
	23400	65020	63160	65050	167200	83600
	23900	66680	65060	67000	172200	86100
			67010	69020	177400	88700
			69030	71080	182700	91350
			71090	73220	188200	94100
			73230	75400	193800	96900

Table No.53

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	7300-100-7600
From 01.01.1996 to 31.12.2005	22400-525-24500
From 01.01.2006 to 31.12.2015	67000-3%-79000
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-15 (182200-224100)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family Pension (if applicable) w.e. 1.1.2016
			Minimum	Maximum		
7300	22400	67000	-	70890	182200	91100
7400	22400	67000	-	70890	182200	91100
7500	22400	67000	-	70890	182200	91100
7600	22925	69010	-	70890	182200	91100
	23450	71080	70900	73030	187700	93850
	23975	73220	73040	75210	193300	96650
	24500	75420	75220	77470	199100	99550
		77690	77480	79000	205100	102550
		79000	77480	79000	205100	102550

Chang

Table No.54

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	7300-200-7500-250-8000
From 01.01.1996 to 31.12.2005	22400-600-26000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	75500-3%-80000
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-16 (205400-224400)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e. 1.1.2016
			Minimum	Maximum		
7300	22400	75500	-	79920	205400	102700
7500	22400	75500	-	79920	205400	102700
7750	22400	75500	-	79920	205400	102700
8000	23000	75500	-	79920	205400	102700
	23600	77765	-	79920	205400	102700
	24200	77765	-	79920	205400	102700
	24800	80000	79930	80000	211600	105800
	25400	80000	79930	80000	211600	105800
	26000	80000	79930	80000	211600	105800

Amij

Table No.55

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	7600
From 01.01.1996 to 31.12.2005	24050-650-26000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	75500-3%-80000
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-16 (205400-224400)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e.f 1.1.2016
			Minimum	Maximum		
7600	24050	77765	-	79920	205400	102700
	24700	80000	79930	80000	211600	105800
	25350	80000	79930	80000	211600	105800
	26000	80000	79930	80000	211600	105800

Amey

Table No.56

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	7600-100-8000
From 01.01.1996 to 31.12.2005	24050-650-26000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	75500-3%-80000
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-16 (205400-224400)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e. 1.1.2016
			Minimum	Maximum		
7600	24050	77765	-	79920	205400	102700
7700	24050	77765	-	79920	205400	102700
7800	24050	77765	-	79920	205400	102700
7900	24700	80000	79930	80000	211600	105800
8000	24700	80000	79930	80000	211600	105800
	25350	80000	79930	80000	211600	105800
	26000	80000	79930	80000	211600	105800

Amey

Table No.57

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	8000
From 01.01.1996 to 31.12.2005	26000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	80000
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-17 (222500/- fixed)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pensio /Enhanced Fami pension (if applicable) w.e. 1.1.2016
			Minimum	Maximum		
8000	26000	80000	-	87540	225000	112500

[Signature]

Table No.57

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	8000
From 01.01.1996 to 31.12.2005	26000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	80000
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-17 (222500/- fixed)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension (if applicable) w.e. 1.1.2016
			Minimum	Maximum		
8000	26000	80000	-	87540	225000	112500

[Signature]

42

Table No.58

Scale of pay/Pay in the Pay Band & Grade Pay at the time of retirement

From 01.01.1986 to 31.12.1995	9000
From 01.01.1996 to 31.12.2005	30000
From 01.01.2006 to 31.12.2015	90000
Corresponding level w.e.f. 1.1.2016	Level-18 (250000/- fixed)

Basic Pay From 01.01.1986 to 31.12.1995	Basic Pay From 01.01.1996 to 31.12.2005	Basic Pay From 01.01.2006 to 31.12.2015	Pay range for pensioners retired during 1.1.2006 to 31.12.2015		Notional Pay as on 01.01.2016	Revised Pension /Enhanced Family pension applicable) w.e 1.1.2016
			Minimum	Maximum		
9000	30000	90000	-	97270	250000	125000

Amir

प्रेषक:

संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

23.2/1103/16
16/01

निदेशक,
कोषागार, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 13 जनवरी, 2016

विषय:-

निवर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के दिनांक 14 जनवरी, 2000 को विद्यमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों एवं उक्त तिथि को कार्यरत ऐसे कार्मिकों जिन्हें पेंशन सुविधा अनुमन्य है तथा जो विभिन्न उत्तराधिकारी कंपनियों से दिनांक 14 जनवरी, 2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये अथवा होंगे, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उपादान एवं पेंशन राशिकरण का कोषागारों के माध्यम से भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 14.01.2000 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विघटन उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम में किया गया। तत्समय राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त तिथि को निवर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के पेंशनरों तथा कार्यरत कर्मचारियों, जो विभिन्न निगमों में स्थानान्तरित किये गये, के पेंशनरी लाभों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्षानुवर्ष उत्तर प्रदेश राज्य पॉवर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट को अनुदान दिया जायेगा। इसके साथ ही, विभिन्न निगमों द्वारा भी ट्रस्ट को अंशदान दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त धनराशि से पॉवर सेक्टर के पेंशनरों के पेंशनरी दायित्वों का भुगतान ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। यह प्रक्रिया वर्ष 2000-2001 से लागू है।

2- राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कंपनियों के कुल पेंशनभोगियों की संख्या मार्च, 2013 को 69955 तथा मार्च, 2014 को 71626 है। औसतन एक माह में पेंशनरी देयों यथा पेंशन, राशिकरण, उपादान एवं पेंशन एरियर पर रुपये 184.14 करोड़ को व्यय होता है।

3- पेंशन संवितरण की वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत बजट से धनराशि उत्तर प्रदेश पॉवर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट को उपलब्ध करायी जाती है तथा ट्रस्ट द्वारा प्रदेश भर स्थित 92 पेंशन संवितरण इकाईयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवंटित की जाती है। इस प्रक्रिया में प्रायः विलम्ब होता है तथा ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों, जिनकी संख्या लगभग 72000 है, को नियमित रूप से पेंशन प्राप्त होने में कठिनाई होती है। कई बार इसमें व्यवधान भी उत्पन्न हो जाता है। इसके दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कट-आफ डेट

(12/1/16 कां.प्र.शा. (संपा.)

मानते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त तिथि तक राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कम्पनियों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा तथा उक्त तिथि के उपरान्त अर्थात् 01 मार्च, 2016 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कोषागारों के माध्यम से किया जायेगा। कोषागारों से भुगतान इस हेतु अधोलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

- (i) पेंशन प्राधिकार पत्रों का कोषागारों को हस्तान्तरण : प्रत्येक जनपद से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन प्राधिकार-पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि जनपद के कोषागार को पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पॉवर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
- (ii) पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के बैंक खातों एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड, पैन, आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) की सूचना पेंशन प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ कोषागार को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही, पेंशनर एवं उसकी पत्नी/पति, का नवीनतम अभिप्रमाणित संयुक्त फोटोग्राफ एवं पारिवारिक पेंशन की दशा में पारिवारिक पेंशनर का नवीनतम अभिप्रमाणित फोटोग्राफ, पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के अभिप्रमाणित हस्ताक्षर तथा बायें एवं दायें अंगूठे के निशान के साथ अलग से निर्धारित रूप-पत्र में कोषागार को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (iii) पेंशन प्राधिकार पत्र हस्तान्तरित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट पॉवर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट के सचिव अधिकृत होंगे तथा सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पॉवर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट के हस्ताक्षर निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्यापित कर समस्त कोषागारों को प्रेषित किये जायेंगे।
- (iv) कोषागार स्तर पर पेंशनर डाटा बेस में ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये निम्नानुसार श्रेणियों में रखते हुये उनका डाटा फीड कराया जायेगा -

1. उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन के पेंशनर PS-01
2. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के पेंशनर PS-02
3. उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के पेंशनर PS-03
4. उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम के पेंशनर PS-04
5. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के पेंशनर PS-05
6. पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के पेंशनर PS-06
7. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के पेंशनर PS-07
8. दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के पेंशनर PS-08
9. केस्को के पेंशनर PS-09

- (v) कोषागार से प्रथम भुगतान : कोषागार से प्रथम भुगतान के अवसर पर पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की पहचान पेंशन प्रपत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर आदि तथा अन्य अभिलेखों, यथा- आधार कार्ड/बैंक पासबुक/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाईसेंस/वोटर पहचान पत्र/आधार कार्ड के आधार पर कराये जाने के उपरान्त ही कोषागार से पेंशन का भुगतान

प्रारम्भ किया जा सकेगा। कोषागार से प्रथम भुगतान के अवसर पर पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर पहचान हेतु कोषागार में व्यक्तिगत रूप से मूल बैंक पास बुक तथा उक्त पहचान पत्रों में से किसी एक पहचान-पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होंगे।

(vi) पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण : पेंशन/पारिवारिक पेंशन समय-समय पर पुनरीक्षण, संबंधित कम्पनी द्वारा आदेश जारी किये जाने पर कोषागारों द्वारा किया जायेगा। कट-ऑफ-डेट के पूर्व की अवधि के पुनरीक्षित पेंशन, ग्रेच्युटी एवं राशिकरण का भुगतान भी कोषागारों द्वारा किया जायेगा।

(vii) निगमों का अंशदान : सचिव यू0पी0 स्टेट पॉवर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये विभिन्न निगमों का अंशदान, जो संबंधित निगम में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग के 19.08 प्रतिशत (अथवा जो दर निर्धारित की जाये) के बराबर होगा, प्राप्त कर मासिक आधार पर वेतन वितरण के 15 दिवस के अन्दर अंशदान की धनराशि चालान द्वारा कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ में जमा करायी जायेगी। संगत विवरण के साथ चालान की सत्यापित प्रतिलिपि निदेशक, कोषागार एवं निदेशक, पेंशन को धनराशि जमा कराये जाने के एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित की जायेगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, उक्त अंशदान की दर का निर्धारण समय-समय पर एक्चुरियल वैल्यूएशन कराते हुये संबंधित निगम द्वारा किया जायेगा।

अंशदान की धनराशि अधोलिखित लेखाशीर्ष में जमा करायी जायेगी -

"0071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वूसली-01-सिविल-101-अभिदान और अंशदान-07-विद्युत क्षेत्र के पेंशनरों के संबंध में विद्युत कंपनियों का अंशदान"

अंशदान की दर के संबंध में संबंधित कंपनियों द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे तथा प्रतिलिपि के साथ निदेशक, पेंशन एवं निदेशक, कोषागार को पृष्ठांकित की जायेगी।

निदेशक, कोषागार एवं निदेशक, पेंशन को चालान की सत्यापित प्रतिलिपि, संबंधित कंपनी के कार्मिकों, जिनके वेतन के आधार पर अंशदान जमा किया गया है, की संख्या इंगित करते हुये स्टेटमेण्ट भी सचिव, उ0प्र0 पॉवर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

(viii) कोषागारों से भुगतान हेतु कट-ऑफ-डेट : पेंशन प्राधिकार पत्र कोषागारों को स्थानान्तरित करने हेतु कट-ऑफ-डेट 29 फरवरी, 2016 होगी। उक्त तिथि तक के समस्त भुगतान वर्तमान पेंशन संवितरण अधिकारियों द्वारा किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के उपरान्त के समस्त भुगतान कोषागारों द्वारा किये जायेंगे। दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक के पूर्व की कोई देयता यदि उक्त तिथि के उपरान्त भी लंबित पायी जाती है, तो उसका भुगतान वर्तमान संबंधित पेंशन संवितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ, ऊर्जा विभाग की अनुदान में वर्षानुवर्ष समुचित धनराशि की व्यवस्था करायी जायेगी। विद्युत

कंपनियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि माह फरवरी, 2016 की पेंशन का भुगतान करने के तत्काल उपरान्त पेंशन भुगतानादेश की प्रतिलिपि हस्तांतरित कर दी जाये।

- (ix) दिनांक 29.02.2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान सीधे संबंधित कोषागार के माध्यम से किया जायेगा। पेंशन प्रपत्र भरे जाते समय कर्मचारी से भुगतान के कोषागार का विकल्प पेंशन-प्रपत्र के अग्रसारण अधिकारी द्वारा भरवाया जायेगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि इस आदेश द्वारा पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। पेंशन स्वीकृति की वर्तमान प्रक्रिया यथावत् रहेगी। पेंशन प्राधिकार पत्र, सचिव, उ0प्र0 राज्य पॉवर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट द्वारा हस्तान्तरित किये जायेंगे।
- (x) राशिकृत पेंशन का पुनर्स्थापन : राशिकृत पेंशन का पुनर्स्थापन सम्बन्धित कोषागार द्वारा किया जायेगा। इस हेतु राशिकृत पेंशन के भुगतान की तिथि का प्रमाण पत्र सचिव, उ0प्र0 राज्य पॉवर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट के माध्यम से दिया जायेगा।
- (xi) महंगाई राहत : महंगाई राहत का भुगतान सम्बन्धित कम्पनी द्वारा जारी आदेशों के आधार पर निर्धारित तिथि से किया जायेगा।
- (xii) भुगतान का लेखाशीर्ष : ऊर्जा कंपनियों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सेवानैवृत्तिक दायित्वों का भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक बजट व्यवस्था राज्य सरकार के आय-व्यय की अनुदान संख्या 62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ-01-के अधीन समुचित लेखाशीर्ष खोलकर करायी जायेगी।
- (xiii) अनन्तिम पेंशन : अनन्तिम पेंशन का भुगतान वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। अंतिम पेंशन स्वीकृत होने पर, कोषागार से प्रथम भुगतान के अवसर पर पेंशनर द्वारा अनन्तिम पेंशन भुगतान का प्रमाण पत्र सम्बन्धित ऊर्जा कम्पनी के कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त कर ट्रस्ट के सचिव से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर कोषागार द्वारा समायोजनोपरान्त पेंशन का भुगतान प्रारम्भ किया जायेगा। अनन्तिम पेंशन के भुगतानार्थ, ऊर्जा विभाग की अनुदान में समुचित धनराशि की व्यवस्था करायी जायेगी।
- (xiv) जीवन प्रमाण पत्र : जीवन प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उसी भांति कोषागार में प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जायेगा जैसे राज्य सरकार के पेंशनरों द्वारा किया जाता है। जीवन प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित किये जाने हेतु सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पॉवर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट एवं पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी, जिनके हस्ताक्षर सचिव, ट्रस्ट द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे, भी अधिकृत होंगे। इस संबंध में शासन द्वारा सरकारी कर्मचारियों के संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेश सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कंपनियों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू होंगे।
- (xv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति : के प्रकरण भी इन आदेशों से आवरित होंगे।

(xvi) भावी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर : इन आदेशों के निर्गमोपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत होने वाले कार्मिकों/उनके आश्रितों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही निगमों के संबंधित पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी। संबंधित पेंशन भुगतानादेश ग्रेच्युटी भुगतानादेश एवं राशिकरण आदेश, सचिव, उ०प्र० राज्य पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कोषागार को प्रेषित किये जायेंगे।

(xvii) दिनांक 08.11.2000 को निवर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हो जाने के फलस्वरूप जो पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर/कार्मिक उत्तराखण्ड को स्थानान्तरित किये जा चुके हैं, उनके प्रकरण इन आदेशों से आच्छादित नहीं होंगे।

4- कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-10-04/X-2016 दिनांक 06.01.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव

संख्या : 1/2016/41/(1)/24-पी-2-16, तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- (3) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० एवं उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (4) समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- (5) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ०प्र०।
- (6) समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- (7) सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद पावर सेक्टर, इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव